

**नगर पंचायत गगरेट, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1-04-2022 से 31-03-2023**

भाग-एक

1 (क) प्रारम्भिक:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376/81-फिन(एल०ए०)-खण्ड-iv, दिनांक 16.10.2008 द्वारा शहरी स्थानीय निकाय के लेखों के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत गगरेट के लेखों का अंकेक्षण निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 1-04-2022 से 31-03-2023 तक नगर पंचायत गगरेट में निम्नलिखित बतौर अध्यक्ष एवं सचिव के पद पर कार्यरत रहें :-

(i) अध्यक्ष :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री सुरिंदर सिंह	07.04.2022 से लगातार

(ii) सचिव एवं आहरण व वितरण अधिकारी :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री परीक्षित कुमार	14.07.2021 से 08.08.2022
2	श्री प्रकाश चन्द	12.08.2022 से 13.10.2022
3	श्रीमति सुषमा रानी	14.10.2022 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

नगर पंचायत गगरेट के अवधि 04/22 से 03/23 के लेखाओं के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	पैरा सं.	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	राशि (₹ लाखों में)
1	6 (ख)	अनुदानों के उपयोग हेतु शेष बची राशि	389.47

2	10.1, 10.5, 10.8 व 10.9	गृहकर, दुकान किराये, मोबाइल टावर स्थापना / नवीनीकरण शुल्क व चूल्हा कर की बकाया वसूली हेतु शेष राशि की वसूली न करना	41.66
3	10.7	दुकानों के किराये पर जी.एस.टी. की वसूली न करने बारे	1.36
4	10.12	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करने बारे	0.04
5	10.13	घर-घर कूड़ा संग्रहण के रूप में कम वसूली करना	3.11
6	13.6	कार्य स्थल पर लाये गये एवं उपयोग किये गये निर्माण सामग्री की प्रमात्रा पर नियमानुसार बनती रॉयल्टी व श्रम उपकर को जमा न करना	1.93
7	10.16	Buy-back of Non-recyclable and Single Use Plastic Waste including plastic bags की वसूली को सम्बन्धित विभाग से न करवाना	0.72

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरांत पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के (परिशिष्ट-क) पर दिया गया है। प्रायः देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जोकि अत्यंत चिंताजनक है। अतः नगर पंचायत इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान / कार्यवाही सुनिश्चित करें तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से यथा समय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके।

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

नगर पंचायत गगरेट के लेखों अवधि 01-04-2022 से 31-03-2023 तक का वर्तमान अंकेक्षण श्री संजीव कुमार सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 25.10.2023 से

06-12-2023 तक तथा श्री प्रवीण कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 25.10.2023 से 27-10-2023 तक नगर पंचायत गगरेट के कार्यालय में निष्पादित किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में समाविष्ट हैं। विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय के लिए माह 03/2023 तथा व्यय के लिए माह 07/2022 का चयन किया गया।

Disclaimer- यहाँ यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण सचिव, नगर पंचायत गगरेट द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत / अधूरी सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई, के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल चयनित माह तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

नगर पंचायत के लेखों अवधि 1-04-2022 से 31-03-2023 तक के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹19,400/- आँका गया। अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को भेजने हेतु सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 222/23 दिनांक 06.12.2023 द्वारा वर्तमान नगर पंचायत के सचिव से अनुरोध किया गया व उनके द्वारा तुरन्त कार्यवाही करते हुए उक्त राशि को बैंक ड्राफ्ट संख्या 820677 दिनांक 26.12.2023 द्वारा जो पंजाब नेशनल बैंक की शाखा शिमला में देय थी, निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित कर दी गई।

4 वित्तीय विवरणियां :-

नगर परिषद् / नगर पंचायत अधिनियम, -1994 के अंतर्गत तथा नगर परिषद् / नगर पंचायत के Accounts Manual के पैरा 27.4 के अनुसार नगर परिषद् / नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित वित्तीय विवरणियां तैयार की जानी आवश्यक हैं। अंकेक्षण के दौरान निम्न वर्णित वित्तीय विवरणियां आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 77/2023 दिनांक 06.06.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प/गगरेट/846 दिनांक 28.11.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि अवधि 01.04.22 से 31.03.23 हेतु निम्नलिखित वित्तीय विवरणियों को तैयार किया जा रहा है तथा शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अतः नगर परिषद् / नगर पंचायत अधिनियम, -1994 के अंतर्गत

नियमानुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

- (i) Balance sheet
- (ii) Income & expenditure statement
- (iii) Reciept & payment account

उपरोक्त विवरणियाँ प्रस्तुत न किए जाने के फलस्वरूप लेखों का प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

5 वित्तीय स्थिति :-

(क) नगर पंचायत द्वारा यथा (परिशिष्ट - ख) पर प्रस्तुत सूचना अनुसार नगर पंचायत की विभिन्न निधियों की लेखा अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

वित्तीय वर्ष 2022-23

	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
स्वयं स्त्रोत	6283817	5829549	1259966	13373332	6323939	7049393
अनुदान	29934095	27662871	0	57596966	18649684	38947282
योग	36217912	33492420	1259966	70970298	24973623	45996675

वर्ष 2022-23

(ख) Reconciliation of bank balances and cash book balances as on 31.03.2023

दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही के अनुसार अन्त शेष					45996675	
जमा :- चैक निर्गमित किए गये लेकिन दिनांक 31.03.2023 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए:-					(+)	1173327
क्र० सं०	चेक संख्या	दिनांक	बैंक का नाम	राशि (₹)		
1	RTGS	17.03.2023	पी.एन. बी. बैंक गगरेट	4950		
2	RTGS	17.03.2023	पी.एन. बी. बैंक गगरेट	207364		
3	RTGS	31.03.2023	पी.एन. बी. बैंक गगरेट	135882		

4	RTGS	31.03.2023	पी.एन. बी. बैंक गगरेट	191799		
5	RTGS	31.03.2023	पी.एन. बी. बैंक गगरेट	41536		
6	RTGS	31.03.2023	पी.एन. बी. बैंक गगरेट	177223		
7	RTGS	31.03.2023	पी.एन. बी. बैंक गगरेट	260169		
8	545676	31.03.2023	पी.एन. बी. बैंक गगरेट	39000		
9	545677	31.03.2023	पी.एन. बी. बैंक गगरेट	30000		
10	545678	31.03.2023	पी.एन. बी. बैंक गगरेट	18000		
11	545680	31.03.2023	पी.एन. बी. बैंक गगरेट	18000		
12	545681	31.03.2023	पी.एन. बी. बैंक गगरेट	18000		
13	545682	31.03.2023	पी.एन. बी. बैंक गगरेट	18000		
14	545683	31.03.2023	पी.एन. बी. बैंक गगरेट	3000		
15	545684	31.03.2023	पी.एन. बी. बैंक गगरेट	3000		
16	545685	31.03.2023	पी.एन. बी. बैंक गगरेट	3000		
17	000018	31.03.2023	एच.डी. एफ. सी. बैंक गगरेट	4404		
घटाव:- चेक बैंक में जमा करवाए गए लेकिन बैंक द्वारा दिनांक 31.03.2023 तक जमा / बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया गया					(-)	50052
क्र० स०	चेक संख्या	दिनांक	बैंक का नाम	राशि (₹)		
1	65286	16.03.2023	पी.एन. बी. बैंक गगरेट	17050		
2	737199	31.03.2023	पी.एन. बी. बैंक गगरेट	33000		
3	दिनांक 31.03.2023 में प्राप्त आय 33947 के स्थान पर बैंक खाता संख्या 3986000100000010 में 33945 जमा करवाए गए कम जमा ₹2 बैंक खाता संख्या			2		

3986000100000010 में दिनांक 13. 09.2023 को जमा करवा दिए गए			
दिनांक 31.03.2023 को बैंक खातों के अनुसार अन्तिम शेष			47119950

ख) दिनांक 31.03.2023 को अंतिम शेष का विवरण :-

क्रम. स.	बैंक का नाम	खाता संख्या	दिनांक 31-03-2023 को शेष राशि (₹)
1	एच.डी. एफ. सी. बैंक गगरेट	50100487805140	5056201.00
2	एच.डी. एफ. सी. बैंक गगरेट	5010066640611	2314340.16
3	एच.डी. एफ. सी. बैंक गगरेट	50200335236060	21784582.30
4	पी.एन. बी. बैंक गगरेट	3986000100021110	10724832.83
5	पी.एन. बी. बैंक गगरेट	3986000100000010	4901817.00
6	पी.एन. बी. बैंक गगरेट	3986000100139774	61493.00
7	पी.एन. बी. बैंक गगरेट	3986000100128051	1751385.00
8	एस. बी .आई. बैंक गगरेट	65186448810	525299.00
		योग	47119950.29

5.1 पेंशन एवं उपदान निधि की वित्तीय स्थिति :-

नगर पंचायत द्वारा (परिशिष्ट - ग) पर अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार पेंशन एवं उपदान की निधि की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से था।

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	10073855.23	950838	286058	11310751	566708.72	10744042.51

दिनांक 31.03.2023 को बैंक वचत खाते में जमा शेष राशि का विवरण :-

क्रम. स.	बैंक का नाम	खाता संख्या	दिनांक 31-03-2023 को शेष राशि
1	पंजाब नेशनल बैंक गगरेट	3986000100023172	10744042.51
		योग	10744042.51

अन्तर = शून्य

5.2 दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) को लागू न करना :-
निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H(C)-15-49/2003-III-3332-3379 Dt.25.03.2009, UD-H(C)-15-49/2003-III-9337-9385 Dt.07.09.2009 तथा पत्र संख्या UD-H(C)-15-49/2003-IV-5215-63 Dt.19.07.2010 द्वारा सभी नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिये गए थे कि लेखा खातों को दिनांक 01.04.2009 से दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) से रख-रखाव किया जाए, किन्तु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखा खातों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत गगरेट द्वारा इन निर्देशों की अवहेलना करके अपने लेखा खातों को एकल पद्धति के आधार पर बनाया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के निर्देशों की अवहेलना करके लेखों को दोहरी लेखा पद्धति के स्थान पर एकल लेखा पद्धति के आधार पर बनाए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं सरकार के निर्देशानुसार लेखों को दोहरी पद्धति के आधार पर बनाया जाना तुरंत सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 237/2023 दिनांक 16.11.2023 के प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत द्वारा अपने पत्र संख्या न.प/गगरेट/846 दिनांक 28.11.2023 द्वारा सूचित किया गया कि नगर पंचायत गगरेट में कर्मचारियों की कमी होने के कारण कार्यालय का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। अतः शीघ्र ही निर्देशों अनुसार दोहरी लेखा पद्धति को शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जायेगा।

6 अनुदान :-

क) वित्तीय स्थिति

नगर पंचायत गगरेट की अंकेक्षणाधीन अवधि 01-04-2022 से 31-03-2023 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण (परिशिष्ट - घ) में भी दिया गया है :-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	ब्याज	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय राशि	अन्तिम शेष
2022-23	29934095	27662871	0	57596966	18649684	38947282

ख) अनुदानों की ₹389.47 लाख उपयोग हेतु शेष :-

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को यथा (परिशिष्ट - घ) पर प्रस्तुत विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत प्राप्त अनुदान की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31-03-2023 को ₹38947282/- उपयोग हेतु शेष थी, जबकि अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृत पत्रों के अनुसार यह राशियाँ आमतौर पर एक या दो वर्षों के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती हैं। अतः अनुपयोग अनुदान राशियों को निश्चित अवधि में उपयोग न किये जाने बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए इन्हें सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत प्राप्त निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित विभाग को करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

ग) अनुदान रजिस्टर तैयार न करना :-

नगर पंचायत में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न विभागों / संस्थाओं से प्राप्त अनुदानों व प्राप्त अनुदानों से किए गए व्यय से सम्बन्धित अभिलेख अनुदान रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। अतः वित्तीय वर्ष 2022-23 का अनुदान रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

घ) ₹177.11/- लाख के अनुदानों के व्यय सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को यथा (परिशिष्ट - घ) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अनुदानों में से वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु ₹18649684/- का व्यय किया गया दर्शाया गया, जिसमें से वर्ष 2022-23 में ₹938353/- के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग को प्रस्तुत किए गए थे जबकि शेष व्यय राशि ₹17711331/- के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। लेकिन अनुदान राशियों को जिन-जिन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नगर पंचायत द्वारा व्यय किया गया, की सत्यापना वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी, क्योंकि नगर पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर को तैयार नहीं किया गया व न ही अनुदानों के शेष व्यय राशि ₹17711331/- से सम्बन्धित व्यय की गई राशि के उपयोगिता

प्रमाण-पत्र सम्बन्धित विभागों को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक अनुदान राशि के व्यय से सम्बन्धित सम्पूर्ण ब्यौरा जैसे कि माह / दिनांक, बिल / वाउचर संख्या इत्यादि से सम्बन्धित विवरण अनुदान रजिस्टर में दर्ज किया जाना व सम्पूर्ण अभिलेख सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि व्यय की सत्यता की पुष्टि की जा सके।

निवेश

- 7 कुशल वित्तीय प्रबन्धन के अभाव में अतिरिक्त निधि को सावधि जमा में निवेश करने की अपेक्षा बचत खातों में जमा रखने के कारण प्राप्त हो सकने वाले अतिरिक्त ब्याज आय की हानि :-

नगर पंचायत की दिनांक 31.03.2023 की प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि ₹45996675/- की एक बड़ी राशि बचत खातों में ही जमा रखी गई थी, जिस में से यदि सामयिक आवश्यकता की राशि के अतिरिक्त उपलब्ध राशि को एक माह से एक वर्ष तक की अल्पावधि बैंक सावधि जमा योजनाओं में निवेश किया जाता तो इस राशि पर निश्चित रूप से नगर पंचायत की दिन - प्रतिदिन की विकास गतिविधियों को प्रभावित किए बिना अधिक ब्याज अर्जित किया जा सकता था, परन्तु पंचायत द्वारा बढ़ी रकम केवल बैंक बचत खातों में रखने के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय से वंचित होना पडा है जोकि समुचित कुशल वित्तीय प्रबन्धन के अभाव को परिलक्षित करता है। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 246/2023 दिनांक 17.11.2023 के प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्या न.प/गगरेट/846 दिनांक 28.11.2023 द्वारा अवगत करवाया गया की विभिन्न बैंक बचत खातों में दिनांक 31-03 -2023 तथा अब तक पड़ी शेष राशि को नगर पंचायत की व्यय की आवश्यकता अनुसार बचत खातों में रख कर सावधि जमा योजना में निवेश कर दिया जाएगा। अतः प्राथमिकता के आधार पर भविष्य में सामयिक आवश्यकताओं हेतु समुचित राशि को बचत खाते में छोड़कर उपलब्ध शेष निधि को कुशल वित्तीय प्रबन्धन करते हुए एक माह से एक वर्ष तक की अल्पावधि बैंक सावधि जमा योजनाओं में निवेशित करना सुनिश्चित किया जाए।

8 बजट :-

नगर पंचायत के अंकेक्षण अवधि 01.04.22 से 31.03.23 दौरान का स्वीकृत बजट एवं इसके विरुद्ध व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	अंतर
2022-23	19647220	24973623	5326403

उपरोक्त विवरणी से स्वतः स्पष्ट है कि नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत बजट से अधिक व्यय की गई राशि ₹53,26,403/- का अनुमोदन/स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की गई थी | अतः इस प्रकरण में म्युनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 251 के अनुसार निदेशक, शहरी विकास विभाग का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करके उक्त अधिक व्यय को नियमित करवाने वारे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 243/23 दिनांक 14.11.2023 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या न.प/गगरेट/846 दिनांक 28.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण स्वीकृत बजट से अधिक व्यय हो गया था तथा भविष्य में स्वीकृत बजट के अनुसार ही व्यय किया जाएगा तथा अधिक किए गये व्यय को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति / अनुमोदित करवाकर आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा। अतः कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये एवं भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता को न दोहराया जाये।

9 नगर पंचायत के गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण:-

नगर पंचायत गगरेट के गत तीन वर्षों के कुल आय व व्यय का विवरण निम्न प्रकार से था:-

वित्तीय वर्ष	आय (स्वः स्त्रोत + अनुदान + ब्याज) (₹)	व्यय (₹)
2020-21	24757152	1450063
2021-22	27309140	23651432
2022-23	33492420	24973623

10 आय :-

नगर पंचायत गगरेट की विभिन्न प्राप्त आय के संबंध में निम्न अनियमितताएं पाई गई हैं, जिन्हें निम्न विवरण अनुसार वर्णित किया गया है :-

10.1 गृहकर की बकाया राशि ₹32.40/- लाख वसूली हेतु शेष :-

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को यथा (परिशिष्ट ड) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.23 तक गृहकर के रूप में ₹3239941/- की वसूली शेष थी। हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 के अनुसार यदि कोई राशि / टैक्स म्युनिसिपल शुल्क इत्यादि के रूप में देय हो व देय तिथि के 15 दिन बाद भी यह आय अदत रहती है, तो सम्बन्धित नगर पंचायत सचिव लिखित रूप से सम्बन्धित फर्म संस्था अथवा व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर भी नगर पंचायत को भुगतान नहीं करता है, तो सम्बन्धित सचिव देय कर राशि खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को वारंट जारी करेगा तथा वारंट जारी करने के बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस संदर्भ में आज तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। उपरोक्त वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या 244/23 दिनांक 17.11.2023 के अंतर्गत सचिव के ध्यानार्थ लाई गई जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्या न.प/गगरेट/846 दिनांक 28.11.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि गृहकर की वसूली हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं तथा गृहकर की बकाया राशि की वसूली हेतु गृहकर दाताओं को legal notice दिए जा रहे हैं। अतः इस संदर्भ में परामर्श दिया जाता है कि गृह कर की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाये व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	मांग	कुल योग	प्राप्ति	छूट	अंत शेष
2022-23	2958842	1130140	4088982	781656	67385	3239941

10.2 गृहकर देरी से जमा करने पर सरचार्ज वसूल न वसूलना :-

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत गगरेट द्वारा गृहकर उपभोक्ताओं से गृहकर को देरी से जमा करने पर कोई भी सरचार्ज वसूल नहीं किया जा रहा है जिससे गृहकर की बकाया राशि में हर वर्ष वृद्धि हो रही है हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 86 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता यथासमय में गृहकर सबन्धित बिल जमा नहीं करता है तो नगर परिषद द्वारा उपभोक्ता से सरचार्ज वसूल किया जा सकता है। अतः उक्त निर्देशों के अनुसार बकाया गृहकर पर नियमानुसार सरचार्ज की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के सन्दर्भ में सचिव ने अपने पत्र संख्या न.प/गगरेट/846 दिनांक 28.11.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि शीघ्र नियमानुसार सरचार्ज का प्रावधान रखा जाएगा। अतः अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.3 गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर में ₹0.05 लाख बकाया कम दर्शाया जाना :-

अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2023 तक के गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में गृहकर राशि वर्ष 2021-22 का अन्तशेष वर्ष 2022-23 में कम अथवा शून्य लिया गया था जिसके कारण नगर पंचायत को निम्न विवरणानुसार वर्ष 2022-23 में ₹4907/- की राजस्व हानि हुई, जिस बारे तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 256/23 दिनांक 20.11.2023 के अंतर्गत सचिव नगर पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प/गगरेट/846 दिनांक 28.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि ₹4907/- की वसूली शीघ्र करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत कर दी जाएगी। अतः इस सन्दर्भ में परामर्श दिया जाता है कि वर्ष के आरम्भिक शेषों का इन्द्राज गृहकर दाताओं के खातों में सावधानी पूर्वक किया जाए जिससे कि निम्न वर्णित गलती से बचा जा सके।

क्र० सं०	वार्ड संख्या	गृहकर दाता का नाम	31.03.2022 की वास्तविक वकाया राशि (₹)	01.04.2022 को दर्शाया गया आरंभिक शेष (₹)	अन्तर (₹)
1	3	श्री सुरिंदर सिंह	1126	0	1126
2	5	श्री जगदम्बे	270	135	135
3	5	श्री द्वारका दास	1080	0	1080

4	7	श्रीमती मधु बाला	675	0	675
5	7	श्री कृष्ण चन्द	1891	0	1891
कुल योग					4907

अतः समस्त गृहकर दाताओं के खातों की जाँच-पड़ताल सुनिश्चित की जाए व लेखों में आवश्यक सुधार करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.4 गृहकर का निर्धारण न करने के कारण राजस्व हानि :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत गगरेट द्वारा अवधि 04/22 से 03/23 के दौरान बने **निम्न विवरणानुसार** नये भवनों की पूर्णता के बाद भवन मालिकों को बिजली व पानी के कनेक्शन जारी करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किए गए थे, परंतु इन नवनिर्मित भवनों का न तो गृहकर निर्धारित किया गया था और न ही गृहकर की कोई भी वसूली की गई जबकि यह हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल अधिनियम 1994 के नियम 65 और 67 के अंतर्गत गृहकर लगाना और वसूली करना अपेक्षित था। नगर पंचायत द्वारा गृहकर का निर्धारण न करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है तथा यह नगर पालिका अधिनियम एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना है तथा इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 258/23 दिनांक 20.11.2023 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र न.प/गगरेट/846 दिनांक 28.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/23 के दौरान निर्मित नये भवनों का गृहकर निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि नये भवनों के गृहकर का निर्धारण भवन का निर्माण पूर्ण होते के उपरान्त ही कर दिया जाता है तथा प्रधानमन्त्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित भवनों पर गृहकर नहीं लगाया जाता है। उतर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि अंकेक्षण को ये अवगत नहीं करवाया गया है कि निम्न वर्णित सूचि में कौन से घर प्रधानमन्त्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित हुए थे तथा निर्मित भवनों के पूर्ण होने के उपरान्त ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। अतः गृहकर नहीं लगाने बारे वस्तु स्थिति से तथ्यों सहित अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	गृहस्वामी का नाम	पता	अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक
1.	अरुण जसवाल	वार्ड नंबर 4 नगर पंचायत गगरेट जिला ऊना (हि०प्र०)	02-04-2022
2.	विजय कुमार	वार्ड नंबर 1 नगर पंचायत गगरेट जिला ऊना (हि०प्र०)	02-04-2022
3.	बलवंत सिंह	वार्ड नंबर 1 नगर पंचायत गगरेट जिला ऊना (हि०प्र०)	08-04-2022
4.	करनैल सिंह	वार्ड नंबर 2 नगर पंचायत गगरेट जिला ऊना (हि०प्र०)	21-05-2022
5.	शादी लाल	वार्ड नंबर 3 नगर पंचायत गगरेट जिला ऊना (हि०प्र०)	25-06-2022
6.	सुनील कुमार	वार्ड नंबर 3 नगर पंचायत गगरेट जिला ऊना (हि०प्र०)	27-06-2022
7.	बलवंत सिंह	वार्ड नंबर 1 नगर पंचायत गगरेट जिला ऊना (हि०प्र०)	01.09.2022
8.	श्रीमती शारदा	वार्ड नंबर 7 नगर पंचायत गगरेट जिला ऊना (हि०प्र०)	07.09.2022
9.	सर्वजीत सिंह	वार्ड नंबर 7 नगर पंचायत गगरेट जिला ऊना (हि०प्र०)	07.09.2022
10.	भगवती देवी	वार्ड नंबर 3 नगर पंचायत गगरेट जिला ऊना (हि०प्र०)	21.09.2022
11.	संजीव कुमार	वार्ड नंबर 3 नगर पंचायत गगरेट जिला ऊना (हि०प्र०)	21.09.2022
12.	सचिव नगर पंचायत	वार्ड नंबर 4,5,7 नगर पंचायत गगरेट जिला ऊना (हि०प्र०)	14.10.2022
13.	गगरेट	वार्ड नंबर 4 नगर पंचायत गगरेट जिला ऊना (हि०प्र०)	03.11.2022
14.	उषा देवी	वार्ड नंबर 1 नगर पंचायत गगरेट जिला ऊना (हि०प्र०)	05.12.2022
15.	संतोख सिंह	वार्ड नंबर 1 नगर पंचायत गगरेट जिला ऊना (हि०प्र०)	05.12.2022
16.	संतोख सिंह	वार्ड नंबर 3 नगर पंचायत गगरेट जिला ऊना (हि०प्र०)	27.12.2022
17.	महिंदर सिंह	वार्ड नंबर 3 नगर पंचायत गगरेट जिला ऊना (हि०प्र०)	04.01.2023
18.	अशोक कुमार	वार्ड नंबर 3 नगर पंचायत गगरेट जिला ऊना (हि०प्र०)	16.01.2023
19.	राजेश कुमार	वार्ड नंबर 4 नगर पंचायत गगरेट जिला ऊना (हि०प्र०)	31.01.2023
20.	नरिंदर सिंह	वार्ड नंबर 5 नगर पंचायत गगरेट जिला ऊना (हि०प्र०)	03.02.2023
21.	राम सरूप	वार्ड नंबर 4 नगर पंचायत गगरेट जिला ऊना (हि०प्र०)	08.02.2023
22.	अनिल कुमार	वार्ड नंबर 1 नगर पंचायत गगरेट जिला ऊना (हि०प्र०)	16.02.2023
23.	कास्ट वेल कास्टिंग (विकास)	वार्ड नंबर 1 नगर पंचायत गगरेट जिला ऊना (हि०प्र०)	16.02.2023
24.	कास्ट वेल कास्टिंग (विकास)	वार्ड नंबर 6 नगर पंचायत गगरेट जिला ऊना (हि०प्र०)	22.03.2023
25.	बालाजी स्टील कम्पनी श्री बालाजी इंडस्ट्री	वार्ड नंबर 6 नगर पंचायत गगरेट जिला ऊना (हि०प्र०)	24.03.2023

10.5 दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹6.04 लाख वसूली हेतु शेष :-

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को यथा (परिशिष्ट च) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.23 तक दुकानों के किराये के रूप में ₹604007/- की वसूली शेष थी। हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 के अनुसार यदि कोई राशि / टैक्स म्युनिसिपल शुल्क इत्यादि के रूप में देय हो व देय तिथि के 15 दिन बाद भी यह आय अदत रहती है, तो सम्बन्धित नगर पंचायत सचिव लिखित रूप से सम्बन्धित फर्म संस्था अथवा व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर भी नगर पंचायत को भुगतान नहीं करता है, तो सम्बन्धित सचिव देय कर राशि खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म संस्था अथवा व्यक्ति को वारंट जारी करेगा तथा वारंट जारी करने के बाबजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस संदर्भ में आज तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। उक्त वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या 245/2023 दिनांक 17.11.23 के अंतर्गत सचिव के ध्यानार्थ लाई गई जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने न.प/गगरेट/846 दिनांक 28.11.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि दुकानों के किराये की वसूली हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं तथा शीघ्र ही दुकानों के किराए की बकाया राशि की वसूली कर ली जाएगी। अतः परामर्श दिया जाता है कि दुकानों के किराये की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	मांग	कुल योग	प्राप्ति	अंत शेष
2022-23	635247	753575	1388822	784815	604007

10.6 दुकानों को किराये पर आबंटित न करने व खाली रखने के कारण नगर पंचायत को ₹0.50 लाख की वित्तीय हानि :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार दुकाने किराये पर आबंटित न करने व खाली रखने के कारण किराया आय के रूप में ₹49720/- की वित्तीय हानि हुई है :-

क्रम संख्या	दुकान संख्या	पुराना मासिक किराया	जिस अवधि के लिए दुकानें खाली रही	जितने माह दुकानें खाली रही	किराये के रूप में हुई वित्तीय हानि
1)	28	330	30.09.2017 से 30.11.2023	74	24420
2)	35	550	01.04.2019 से 30.01.2023	46	25300
				योग	49720

उक्त वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अध्याचना संख्या 241/23 दिनांक 14.11.2023 के अंतर्गत सचिव के ध्यानार्थ लाई गई जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प/गगरेट/846 दिनांक 28.11.2023 द्वारा सूचित किया गया कि दुकानों की स्थिति जर्जर होने के कारण नीलामी नहीं हो सकी दुकानों का नवीनीकरण शीघ्र करके नीलामी कर ली जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं था। अतः इतनी अवधि तक दुकानों को खाली रखना तथा उपरोक्त उल्लेखित दुकाने मासिक किराये पर आबंटित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त दुकानों को मासिक किराये पर आबंटित न करने के कारण किराये के रूप में हुई वित्तीय हानि ₹49720/- का उत्तरदायित्व निर्धारण करने के उपरांत उक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व खाली दुकानों को किराये पर देने हेतु प्रभावी कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

10.7 दुकानों के किराये पर ₹1.36 लाख जी.एस.टी. की वसूली न करना :-

नगर पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2023 दौरान दुकानों, खोकों व भवनों से प्राप्त किराये का अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 दौरान ₹753575/- की मांग की गई, परन्तु उक्त किराये पर हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 7 व 9 के अंतर्गत जी.एस.टी. की वसूली नहीं की गई जोकि ₹135643/-(753575×18/100) बनती थी, क्योंकि उक्त अधिनियम की धारा 2(69)के अनुसार

शहरी स्थानीय निकाय भी शामिल है। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 260/2023 दिनांक 23/11/23 के प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प/गगरेट/846 दिनांक 28.11.2023 द्वारा सूचित किया गया कि दुकानों के किराये पर नियमानुसार बनती जी.एस.टी. लगाकर ही वसूली की जाएगी जिसे अब वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

10.8 मोबाईल टावरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क ₹2.62 लाख वसूली हेतु शेष :-

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को यथा (परिशिष्ट - छ) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.23 को निम्न विवरणानुसार मोबाईल टावरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क ₹262500/- लाख वसूली हेतु शेष थी। प्रधान सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.)-96 दिनांक 21/06/2017 द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र में यदि मोबाईल कम्पनियां अपने टावर लगाती है, तो उनसे ₹25000/- टावर स्थापना शुल्क तथा ₹12500/- प्रति वर्ष नवीनीकरण शुल्क वसूल किया जाना अपेक्षित था परन्तु Right of way policy – 2021 के Chapter 2 Clause 6 (G) तथा सूचना एवं तकनीकी विभाग की अधिसूचना संख्या I.T(F)1-1/2020 dated 09.02.2021 अनुसार There is only provision of clearing all the outstanding Urban Department Tax or any other dues payable upon the land and building applied for installation of telegraph infrastructure. की अनुपालना में दिनांक 31.03.2022 तक जो राशि वसूली हेतु शेष थी, को नगर पंचायत द्वारा वसूली हेतु कोई भी ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी। उक्त वर्णित अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 257/23 दिनांक 20.11.2023 के अंतर्गत सचिव के ध्यानार्थ लाई गई जिसके प्रत्युत्तर में अपने पत्र न.प/गगरेट/846 दिनांक 28.11.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि मोबाईल कम्पनियों से नवीनीकरण शुल्क की वसूली हेतु पत्राचार किया जा रहा है। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार तुरंत ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए अथवा यदि मोबाईल कम्पनियों से वसूली न करने बारे कोई निर्देश सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी किए गए हैं तो उसे पुष्टि हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	दिनांक 31.03.23 तक वसूली योग्य राशि (₹)
1)	BSNL Ward No.05	50000
2)	Airtel Ward No. 01	46875
3)	Airtel Ward No. 07	46875
4)	Vodafone Ward No.07	56250
5)	AIRCEL Ward No. 07	28750
6)	Reliance Ward No. 06	33750
	कुल योग	262500

10.9 चुल्हा कर की बकाया ₹0.59 लाख वसूली हेतु शेष :-

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को यथा (परिशिष्ट - ज) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.23 को चुल्हा कर बकाया राशि ₹59390/- वसूली हेतु शेष थी तथा अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त राशि की वसूली हेतु नगर पंचायत द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी। उक्त वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या 262/23 दिनांक 23.11.2023 के अंतर्गत सचिव के ध्यानार्थ लाई गई जिसके प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या न.प/गगरेट/846 दिनांक 28.11.2023 द्वारा स्पष्ट किया कि चुल्हा कर की वसूली हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं तथा शीघ्र वसूली कर ली जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः चुल्हा कर के किराये की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाये व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	मांग	कुल योग	प्राप्ति	अंत शेष
2022-23	52040	32400	84440	25050	59390

10.10 अंकेक्षण अवधि के दौरान शराब उपकर की वसूली न करना :-

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू.एल.बी.-एच(सी)(9)-28/96-1 दिनांक 01.12.99 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र के अन्दर शराब के ठेकों से बिकने वाली शराब की बोतलों पर ₹1 प्रति बोतल की दर से शराब उपकर आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा सम्बन्धित स्थानीय निकायों को शराब उपकर का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण को प्रस्तुत

सूचना अनुसार नगर पंचायत को अवधि 01/04/22 से 31/03/23 के दौरान शराब उपकर की कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई थी, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जिसकी वसूली हेतु आवकारी एवं कराधान विभाग हिमाचल प्रदेश से शराब उपकर प्राप्त करने हेतु मामला शीघ्र उठाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 235/2023 दिनांक 14.11.23 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा अपने न.प/गगरेट/846 दिनांक 28.11.2023 द्वारा सूचित किया गया कि शराब उपकर की वसूली सम्बन्धित विभाग से शीघ्र ही कर ली जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि नगर पंचायत को शराब कर के रूप में प्राप्त होने वाली आय से नगर पंचायत के विकासात्मक कार्यो पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि उक्त से सम्बन्धित मामला वसूली हेतु शीघ्र उठाया जाए तथा भविष्य में भी समय - समय पर वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

10.11 सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त शुल्क ₹130/- को सरकारी कोष में जमा न करना :-

नगर पंचायत के अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत (सलग्न परिशिष्ट-झ) अनुसार सूचना का अधिकार के नियम-2006 के नियम 5 तथा अतिरिक्त निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H(A)(3)-2/2005-IV-1312-1372 दिनांक 29-04-2023 की अनुपालना में आर.टी.आई शुल्क के वर्ष 2022-23 में प्राप्त किए गए ₹130/- को सरकारी कोष के Head "0070-60-118-011"(Receipt From Right to Information Act.) में जमा न करवाकर नगर पंचायत द्वारा अपने स्वयं स्त्रोत लेखे में जमा करवाया गया। उक्त वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या 249/2023 दिनांक 17.11.23 के अंतर्गत सचिव नगर पंचायत के ध्यानार्थ वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या न.प/गगरेट/846 दिनांक 28.11.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि को सरकारी कोष में शीघ्र जमा करवाकर आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अतः दिए गए आश्वासन अनुसार कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.12 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.04 लाख को सरकारी कोष में जमा न करना :-

नगर पंचायत द्वारा समाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)1/97 दिनांक 17.12.2004 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम 2004 द्वारा जारी नियम 9 व अधिसूचना संख्या SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण (संशोधन) नियम 2016 द्वारा जारी

नियम 3 अनुसार प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को राजकीय कोष में मद 0235-00-800-03 में अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 हेतु **निम्न विवरणानुसार ₹3925/-** अनुसार जमा करवाया जाना वांछित था। उक्त वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 238/2023 दिनांक 14.11.23 के अंतर्गत सचिव नगर पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या न.प/गगरेट/846 दिनांक 28.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

Sr. No.	Name/Father Name	Receipt No.	Date	Fee
1	Sourav Dhiman S/o Jivan Singh	0231463	21.04.2022	400
2	Deepak Kumar S/o Ranjeet Singh	0231464	19.05.2022	25
3	Abhishek Kumar S/o Janak Raj	0231465	20.05.2022	200
4	Raj Kumar S/o Daljit Singh	0231466	16.06.2022	400
5	Shubham Kumar S/o Ved Parkash	0231467	20.06.2022	400
6	Anuj Lakhnpal S/o Ravinder Kumar	0231468	26.07.2022	400
7	Jagtar Singh S/o Dilbag Singh	0231469	29.07.2022	200
8	Sury Pratap S/o Rajesh kumar	0231470	18.08.2022	200
9	Vikram Singh S/o Hans Raj	0231471	18.10.2023	200
10	Sunil Kumar S/o Ranjeet Singh	0231472	10.11.2022	400

11	Varun Sharma S/o Brij Mohan	0231473	16.12.2022	200
12	Sajil Kumar S/o Surender Kumar	0231474	22.12.2022	200
13	Heera Lal S/o Sansar Chand	0231475	23.12.2022	100
14	Sajil Kumar S/o Rajesh Kumar	0231476	26.12.2022	200
15	Kanwar Parveen S/o Rakesh Singh	0231477	30.12.2022	200
16	Aditya Thakur S/o Satish Kumar	0231478	02.03.2023	200
			Total	3925

अतः दिए गए आश्वासन अनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी राजकोष में जमा करके, अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.13 घर-घर कूड़ा संग्रहण के रूप में ₹3.11/- लाख की कम वसूली करना :-

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि 01.04.22 से 31.03.23 तक के दौरान नगर पंचायत के क्षेत्र में स्थापित घर, दुकानें, सरकारी कार्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, बैंक, होटल व ढाबे कूड़ा संग्रहण के रूप में निम्न विवरणानुसार तथा सलग्न परिशिष्ट-ज अनुसार वसूली योग्य राशि ₹815760/- बनती थी, जिन में से नगर पंचायत द्वारा घरों से ही ₹504510/- वसूली की गई जबकि वसूली हेतु ₹311250/- राशि शेष थी, जिसकी वसूली बारे नगर पंचायत द्वारा कोई भी पग नहीं उठाये गए थे। परिणाम स्वरूप नगर पंचायत को एक बड़ी राशि के रूप में प्राप्त होने वाली आय से वंचित होना पडा, जिसका औचित्य स्पष्ट करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 236/23 दिनांक 14.11.2023 द्वारा सचिव नगर पंचायत से आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या न.प/गगरेट/846 दिनांक 28.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि कूड़ा संग्रहण राशि की वसूली शीघ्र ही कर ली जाएगी। उतर संतोषजनक नहीं है क्योंकि नगर पंचायत को हर माह

वित्तीय हानि हो रही है जिसका दुष्प्रभाव विकासात्मक कार्यों पर पड़ रहा है | अतः वसूली हेतु शीघ्र उचित पग उठाए जाए |

विवरण	संख्या	अधिसूचना अनुसार निर्धारित दरें (मासिक)	मासों की संख्या 01-04-2022 से 31-03-2023	वसूली योग्य राशि (01-04-2022 से (31-03-2023)	वसूली की गई राशि	कम वसूली राशि (₹)
घर	921	30	12	331560	287080	44480
दुकान	615	50	12	369000	169230	199770
बैंक	06	1000	12	72000	34000	38000
बैंक	01	100	12	1200	1200	00
स्कूल	07	100	12	8400	5500	2900
कार्यालय	14	200	12	33600	7500	26100
			कुल योग	815760	504510	311250

इसके अतिरिक्त शेष राशि की वसूली सुनिश्चित करके, अंकेक्षण को अनुपालना

से अवगत करवाया जाए।

10.14 बिजली बोर्ड से देय बिजली उपकरण की वसूली न करना :-

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल.एस.जी.-(डी)(1)-9/94 दिनांक 01.12.99 एवं हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल अधिनियम की धारा 69 के अनुसार नगर पंचायत द्वारा अपने परिक्षेत्र में खर्च होने वाली बिजली पर प्रति यूनिट 1 पैसा की दर से बिजली उपकरण हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड से वसूल किया जाना अपेक्षित है | अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचना अनुसार नगर पंचायत को अवधि 01/04/22 से 01/03/23 के दौरान बिजली शुल्क की कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई थी, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है तथा यह प्रकरण तुरंत बिजली बोर्ड से उठाया जाए तथा उक्त अवधि के दौरान देय बिजली शुल्क की राशि को बिजली खपत के पूर्ण विवरण सहित प्राप्त करने के अतिरिक्त अपेक्षित मांग व प्राप्ति रजिस्टर का उचित संधारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए | इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 234/2023 दिनांक 14.11.23 द्वारा वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने

का आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प/गगरेट/846 दिनांक 28.11.2023 द्वारा सूचित किया गया कि वर्ष 2022-23 हेतु बिजली उपकर की वसूली हेतु मामला सम्बन्धित विभाग से शीघ्र उठाया जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार तुरंत ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10.15 ट्रेड लाइसेंस फ़ीस की सम्भावित आय ₹6.15 लाख की वसूली न करना :-

नगर पंचायत गगरेट के कार्यवाही रजिस्टर के प्रस्ताव संख्या 136 दिनांक 09.11.20 के अंतर्गत नगर पंचायत की परिधि में स्थित दुकानदारों, होटलों, ढाबों व अन्य व्यवसायिक संस्थानों को ट्रेड लाइसेंस जारी किए जाने व ट्रेड लाइसेंस फ़ीस की वसूली करने का प्रस्ताव पारित है। लेकिन जाँच के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नगर पंचायत की परिधि में स्थित 615 नंबर दुकानदारों, होटलों, ढाबों व अन्य व्यवसायिक संस्थानों को नगर पंचायत द्वारा न तो ट्रेड लाइसेंस जारी किए व न ही ट्रेड लाइसेंस फ़ीस की वसूली की गई थी, जिससे नगर पंचायत को प्रति वर्ष लाखों रूपये की वित्तीय हानि हो रही है। उक्त वित्तीय हानि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 266/23 दिनांक 23.11.2023 के अंतर्गत सचिव, नगर पंचायत गगरेट के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या न.प/गगरेट/846 दिनांक 28.11.2023 द्वारा सूचित किया गया कि नगर पंचायत गगरेट की परिधि में स्थित दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस जारी करके राशि शीघ्र वसूल कर ली जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः नगर पंचायत गगरेट की परिधि में स्थित 615 नंबर दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस जारी न करने व ट्रेड लाइसेंस फ़ीस के रूप में वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व ट्रेड लाइसेंस के रूप में वसूली न करने के कारण हुई वित्तीय हानि का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। नगर पंचायत की परिधि में स्थित 615 नंबर दुकानदारों, होटलों, ढाबों व अन्य व्यवसायिक संस्थानों से यदि ₹1000/- वार्षिक दर से वसूली की जाती तो नगर पंचायत को अंकेक्षण अवधि दौरान ₹615000/- की आय प्राप्त हो सकती थी।

10.16 Buy-back of Non-recyclable and Single Use Plastic Waste including plastic bags की राशि ₹0.72 लाख की वसूली सम्बन्धित विभाग से न करवाना :-

नगर पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2023 दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा तकनीकी एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या STE-F(4)-1/2017 दिनांक 01.10.2019 अनुसार 75 प्रति किलो ग्राम की दर से Single Use Plastic Waste के

क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु निम्न विवरणानुसार ₹72435/- का भुगतान किया गया, जिसकी वसूली सम्बन्धित विभाग से की जानी वांछित थी जोकि नगर पंचायत द्वारा सम्बन्धित विभाग से नहीं की गई थी। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 252/23 दिनांक 20.11.2023 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या न.प/गगरेट/846 दिनांक 28.11.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर पंचायत द्वारा तकनीकी एवं पर्यावरण विभाग से पत्राचार किया जा रहा है, सम्बन्धित विभाग से राशि प्राप्त होने पर आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा।

क्रम संख्या	माह	क्रय (किलो ग्राम)	दर	राशि (₹)
1	Apr-22	95	75	7125
2	May-22	0	75	0
3	Jun-22	170	75	12750
4	Jul-22	0	75	0
5	Aug-22	41	75	3075
6	Sep-22	16	75	1200
7	Oct-22	28	75	2100
8	Nov-22	90.8	75	6810
9	Dec-22	46	75	3450
10	Jan-23	140	75	10500
11	Feb-23	147	75	11025
12	Mar-23	192	75	14400
	Total	965.8	75	72435

अतः राशि की वसूली सम्बन्धित विभाग से करके, अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 स्थापना

11.1 कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का रख-रखाव नियमानुसार न करना:-

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 1971 के नियम 7.14 एवं 7.15 के प्रावधानों के अनुसार सेवा पंजिकाओं में कर्मचारियों से सम्बन्धित विवरण जैसे कि अर्जित अवकाश, स्वीकृति आदेश,

वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश, तबादला आदेश, पदोन्नति आदेश, सेवाकाल सत्यापन की प्रविष्टि दर्ज की जानी अपेक्षित है किन्तु अंकेक्षण के दौरान कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित प्रकरणों में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 247/23 दिनांक 17.11.2023 के अनुसार सेवा पंजिकाओं का रख-रखाव नियमानुसार न करने को न्यायोचित ठहराया जाए जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या न.प/गगरेट/846 दिनांक 28.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में भविष्य में वार्षिक वेतन वृद्धि के आदेश की प्रविष्टि की जाएगी। निम्न वर्णित प्रकरणों सहित अन्य इसी प्रकार के सभी प्रकरणों में कार्यवाही करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	टिप्पणी
1.	श्री मति सुषमा रानी	Secretary	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2022-23
2.	श्री राजीव कुमार	Junior Engineer	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2022-23
3.	श्री हरीश कुमार	Sanitary Supervisor	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2022-23
4.	श्री अशोक कुमार	Driver	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2022-23

11.2 कर्मचारियों के अवकाश खातों को पूर्ण न करना :-

केन्द्रीय सेवा नियम (अवकाश) 1972 के नियम 26(1)(a)(i) के प्रावधान के अनुसार, कर्मचारियों के अवकाश खातों को प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी एवं प्रथम जुलाई को दो किशतों में एडवांस क्रेडिट देते हुए पूर्ण किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान नगर पंचायत के कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न कर्मचारियों के सन्दर्भ में अवकाश खातों को पूर्ण नहीं किया गया था जोकि अनियमित था जिसे

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 248/23 दिनांक 17.11.2023 द्वारा औचित्य स्पष्ट करने बारे आग्रह किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या न.प/गगरेट/846 दिनांक 28.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नगर पंचायत गगरेट के कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओ में अवकाश खातों को शीघ्र ही पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः कर्मचारी के अवकाश खाते को पूर्ण करने हेतु नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr. No	Name of employee	Designation	Period for which earned leave account not completed	Period for which H.P.L. leave account not completed
1	श्री राजीव कुमार	Junior Engineer	01.01.2023 To 31.03.2023	01.07.2022 To 31.03.2023
2	श्री हरीश कुमार	Sanitary Supervisor	01.07.2022 To 31.03.2023	01.01.2022 To 31.03.2023

12 नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान Government e-Marketplace (GeM) Portal से क्रय न करने बारे :-

नगर पंचायत की अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2023 दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H(B)Gem-/2018-eMarket Place (Gem)-26587-648 दिनांक 22.8.2022 के अनुसार "All ULBs in the State are brought on the Government e-Marketplace (GeM) portal at the earliest" की अनुपालना में क्रय किया जाना वांछित था, परन्तु नगर पंचायत द्वारा उक्त आदेशों की अवहेलना करते हुए समस्त क्रय Government e-Market Place (GeM) से न करते हुए खुले बाजार से किया गया। अतः GeM Portal से क्रय न करने बारे तथ्यों सहित वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 242/23 दिनांक 15.11.2023 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प/गगरेट/846 दिनांक 28.11.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नगर पंचायत द्वारा GeM Portal से क्रय करना आरम्भ कर दिया गया जाएगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः समस्त क्रय Government e-Market Place (GeM) से न करते हुए खुले बाजार से करने का

औचित्य अंकेक्षण को स्पष्ट किया जाए तथा सुझाव दिया जाता है कि क्रय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना करते हुए सुनिश्चित किया जाए।

12.1 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदान की गई ₹6.35 लाख की धन राशि के सन्दर्भ में पाई गई अनियमितताओं बारे :-

नगर पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2023 के चयनित मास में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रदान की गई धन राशि के सम्बन्ध में प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों-जनवरी 2021 की अवेहलना करते हुए निम्न लाभार्थियों को राशि जारी की गई थी। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 251/23 दिनांक 14.11.2023 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या न.प/गगरेट/846 दिनांक 28.11.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि सबन्धित वांछित अभिलेख लाभार्थियों से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उतर संतोषजनक नहीं है क्योंकि बिना पात्रता पूरा किए / अधूरे दस्तावेजों पर जारी की गई राशि का औचित्य नियमानुसार स्पष्ट किया जाए।

क्रम संख्या	वाउचर संख्या व दिनांक	लाभार्थी का नाम व पता	राशि (₹)	प्रस्तुत अभिलेख में पाई गई कमी
1.	शून्य 06.07.2022	श्रीमती सपना रानी, वार्ड नंबर 4 गगरेट	50000	आवेदक का पक्का मकान मापन सहित न होने बारे शपथ पत्र अभिलेख में नहीं पाया गया।
2.	शून्य 06.07.2022	श्री जनक राज, वार्ड नंबर 4	100000	आवेदक का पक्का मकान मापन सहित न होने बारे शपथ पत्र अभिलेख में नहीं पाया गया।
3.	शून्य 06.07.2022	श्री अनिल कुमार, गगरेट	50000	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र सलंग्न नहीं था।
4.	शून्य 06.07.2022	श्री सुरिंदर पाल सिंह, गगरेट	35000	आवेदक का पक्का मकान मापन सहित न होने बारे शपथ पत्र तथा उसके परिवारजनों के आधार की छाया प्रतियाँ अभिलेख में सलंग्न नहीं थी।

5.	शून्य 18.07.2022	श्रीमती कांता देवी, वार्ड नंबर 5 गगरेट	100000	आवेदक का पक्का मकान मापन सहित न होने बारे शपथ पत्र अभिलेख में नहीं पाया गया।
6.	शून्य 08.07.2022 & 18.07.2022	श्री अशोक कुमार, वार्ड नंबर 2 गगरेट	150000	आवेदक का पक्का मकान मापन सहित न होने बारे शपथ पत्र अभिलेख में नहीं पाया गया।
7.	शून्य 18.07.2022	श्री सुदर्शन कुमार, गगरेट	50000	पिता से राजस्व अभिलेख के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्राप्त नहीं किया गया था।
8.	शून्य 18.07.2022	श्रीमति स्नेह लता, वार्ड नंबर 6 गगरेट	100000	आवेदक का पक्का मकान मापन सहित न होने बारे शपथ पत्र अभिलेख में नहीं पाया गया।
		योग	635000	

13 निर्माण कार्य :-

13.1 निर्माण कार्यों के निष्पादन में नियमों में प्रावधित मात्रा से अधिक विचलन को सक्षम अधिकारी से स्वीकृत न करवाकर किया गया अनियमित भुगतान करने बारे :-

नगर पंचायत गगरेट द्वारा C.P.W.D. कोड 2014 के पैरा 24.1.2. ए के प्रावधानों के अनुसार अन्तिम बिल के भुगतान से पूर्व किसी भी निर्माण कार्य के निष्पादन में आए कम / अधिक विचलन (Deviation) को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाये जाने के पश्चात् ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था तथा निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्या UD.H(F)(1)/2000-Instructions10698-10746 दिनांक 24.09.2005 के अनुसार कार्यवाही की जानी वांछित थी, परन्तु नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षणवधि के दौरान निष्पादित करवाये गये निर्माण कार्यों के बिलों की नमूना अंकेक्षण जाँच में पाया गया है कि निम्न तालिका तथा सलग्न (परिशिष्ट -ट) में वर्णित प्रकरणों में कुल कार्य निष्पादित अवार्ड राशि से कम अथवा अधिक राशि के लिए हुआ है, तदपि इनके अन्तिम बिलों का भुगतान सक्षम अधिकारी की स्वीकृति / नियमितकरण के बिना ही किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 253/23 दिनांक 20.11.23 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या न.प/गगरेट/846 दिनांक 28.11.2023 द्वारा

स्पष्ट किया गया कि नगर पंचायत द्वारा जिन कार्यों का विचलन 10% से अधिक हुआ है उन कार्यों के विचलन को नगर पंचायत की बैठक में स्वीकृत करवाया गया है। उतर संतोषजनक नहीं है। अतः उक्त अनुमोदन बारे औचित्य निदेशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्रानुसार जारी निर्देशानुसार दिया जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

Sr. No.	Name of Work	MB No.& Page no.	Tender Amount (₹)	Total Expenditure (₹)	Difference	%age	Excess & Lesser
1	Renovation of hall and stair case at bus stand	44/15	84519	81270	3249	3.84	Lesser
2	partition work of New NP office	44/60	911779	1085780	174001	19.08	Excess
3	Completion of shed at Gaushala	44/62	287590	279134	8456	2.94	Lesser
4	Construction of shed at Gaushala	44/65	774133	966030	191897	24.79	Excess
5	C/O of Veranda and renovation of Sarai ward no. 3	45/31,44	252744	290771	38027	15.05	Excess
6	Construction of community Bathroom near Sarai Ward no. 3	45/24	228150	222109	6041	2.65	Lesser
7	Construction of path near house of Raghunath Ward No. 3	45/34	83300	66059	17241	20.7	Lesser
8	Construction of Path Near	45/62	261913	221475	40438	15.44	Lesser

	Tiwari surgical Ward no. 6						
9	Improvement of Path near House of Mukhtyar ward no. 4	45/60	163200	130339	32861	20.14	Lesser
10	P/F high mast light Ward no 5,	45/66,	430600	424125	6475	1.5	Lesser
11	P/F high mast light near in W. no 4,	45/70,	435350	422050	13300	3.06	Lesser
12	P/F high mast light inW.no 7,	45/74	435350	468825	33475	7.69	Excess
13	Improvement of Path towards the Ashwani Kumar House ward no. 4	44/71	468392	513708	45316	9.67	Excess
14	Imp.of Path from Radha Swami center upto the H/O Rajiv Kumar Ward no. 5	45/82	344098	249684	94414	27.44	Lesser
15	C/R of CC wall around T no. 95 Ward no. 4	45/86	321272	344267	22995	7.16	Excess
16	Improvement of Ashram road Ward no. 3 Phase III	45/90	656847	722216	65369	9.95	Excess
17	Construction of park at bus	46/3	295136	365562	70426	23.86	Excess

	stand ward no. 5						
18	Extra Width to path rosin mill gate ward no. 6	44/77	359904	302193	57711	16.04	Lesser
19	Improvement of path from Una Road to GSSS Gagret Ward no. 5Phase I	44/80	233893	154986	78907	33.74	Lesser
20	Improvement of path near house Shadi Lal ward no. 3	46/30	98705	85799	12906	13.07	Lesser
21	Improvement of path & extra width mohla ranaya ward no. 4	46/32	232529	215377	17152	7.38	Lesser
22	Improvement of path Una Road near shiv mandir ward no. 4&5	46/36	209913	209766	147	0.07	Lesser
23	C/O Park at Bus Stand in w.no.5 (Misc.Work.)	46/37	141201	157554	16353	11.58	Excess
24	Improvement of Ashram Road in ward.no.3 Phase IV	46/40	235142	238371	3229	1.37	Excess
25	Improvement of Path towards the H/O Sh.Mohan Lal In w.no.4	46/34	195862	234704	38842	19.83	Excess

13.2 निर्माण कार्यों का देरी से निष्पादित तथा नियमानुसार निर्धारित दण्ड राशि ₹0.45/- लाख की वसूली न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य बिलों की नमूना जाँच में पाया गया कि निम्न तालिका तथा सलंग्न (परिशिष्ट -ठ) में वर्णित निर्माण कार्यों का निष्पादित कार्य आबंटन पत्र में निर्धारित समयावधि की अवहेलना करते हुये देरी से पूर्ण किया गया। कार्य निष्पादन हेतु हस्ताक्षरित अनुबंध की शर्त 2 (Clause 2 of the agreement) के अनुसार संविदाकार द्वारा कार्य निष्पादन में देरी करने पर प्राक्कलन राशि के 1% की दर से दण्ड वसूल किया जाना अपेक्षित था, परन्तु इन कार्यों के निष्पादन में न तो संविदाकार को नियमानुसार समय बढ़ौतरी दी गई और न ही निर्धारित ₹45457/- की दण्ड राशि को वसूल किया गया। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 254/23 दिनांक 20.11.23 के प्रतिउतर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प/गगरेट/846 दिनांक 28.11.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि नगर पंचायत गगरेट में सीबरेज के निर्माण के कारण तथा फसल बिजाई के कारण निर्माण कार्यों में देरी हुई। उतर संतोषजनक नहीं है। अतः निष्पादन में देरी के कारण नियमानुसार उल्लेख करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अथवा दण्ड की वसूली करके इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

Sr. No.	Name of Work	MB & Page No.	Delay in execution	Estimated Cost	Penalty	Time Period
1	Renovation of hall and stair case at bus stand	44/15	56 Days	76637	845	2 Month
2	partition work of New NP office	44/60	109days	834698	9118	2 Month
3	Construction of shed at Gaushala	44/65	50 days	940150	7741	2 Month

4	C/O of Veranda and renovation of Sarai ward no. 3	45/31,44	215 days	283814	2527	3 Month
5	Construction of community Bathroom near Sarai Ward no. 3	45/24	88days	254690	2282	3 Month
6	Construction of path near house of Raghunath Ward No. 3	45/34	3 Days	93036	833	1 Month
7	Improvement of Path from Radha Swami center upto the H/O Rajiv Kumar Ward no. 5	45/82	630 days	359160	3441	2 Month
8	C/R of CC wall around T no. 95 Ward no. 4	45/86	4 Days	364834	3213	1Month
9	Improvement of Ashram road Ward no. 3 Phase III	45/90	3 Days	938353	6568	1Month
10	Construction of park at bus stand ward no. 5	46/3	35 Days	278500	2951	1 Month
11	Extra Width to path rosin mill gate ward no. 6	44/77	21 Days	514149	3599	1Month
12	Improvement of path from Una Road	44/80	50 Days	238937	2339	1Month

	to GSSS Garget Ward no. 5Phase I Ward no. 4					
				Total	45457	

13.3 निर्माण कार्यों में प्रावधित नियमों की अवेहलना तथा सम्बन्धित अभिलेख को तैयार न करना :-

नगर पंचायत द्वारा करवाए गये निर्माण कार्यों के बिलों का चयनित आधार पर अंकेक्षण दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 12 में निर्माण कार्य निष्पादन से सम्बन्धित प्रावधित नियमों की अनुपालना न करने के दृष्टिगत निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई थी, जिनका यथोचित समाधान करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए :-

- (i) लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रतिपादित नियमों के अनुसार ठेकेदारों द्वारा टेंडर में भरी गई दरों को बाजारी मूल्य के साथ तार्किकता के आधार पर परखा जाता है (Justification of rates is prepared) परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रावधान की पूर्ण अवेहलना करते हुए किसी भी निर्माण कार्य के आबंटन से पूर्व (Justification of rates) तैयार नहीं किए गए थे।
- (ii) हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 201 के अनुसार कार्य की पूर्णता पर सम्बन्धित अभियंता द्वारा प्रारूप एम० डब्ल्यू०-14 पर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना अपेक्षित है, परन्तु नगर पंचायत द्वारा किसी भी निर्माण कार्य हेतु यह प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था।

उपरोक्त त्रुटियों के सन्दर्भ में करवाए गए निर्माण कार्यों को नगर पंचायत के दृष्टिकोण से न्यायोचित ठहराने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 261/23 दिनांक 23.11.23 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प/गगरेट/846 दिनांक 28.11.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि निर्माण कार्यों में प्रावधित नियमों की अवहेलना तथा सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर दिया गया है। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त अभिलेख को सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतःसरकार/विभाग द्वारा समय-समय जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना करना एक गम्भीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

13.4 निर्माण कार्य बिल में संविदाकारों को ₹2836/- का अधिक भुगतान करना :-

अंकेक्षण में निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार संविदाकारों को ₹2836/- का अधिक भुगतान गलत गणना के कारण किया गया था, जिसे तथ्यों सहित वस्तुस्थिति व नगर पंचायत के दृष्टिकोण से अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 263/23 व 264/23 दिनांक 23.11.23 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव नगर पंचायत ने अपने पत्र संख्या न.प/गगरेट/846 दिनांक 28.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त राशि ₹2836/- की वसूली रसीद 5/333 व 4/333 दिनांक 25.11.2023 द्वारा कर ली गई है जिसका सत्यापन अंकेक्षण दौरान कर लिया गया है।

क) गणना में चूक के कारण ₹1620/- का अधिक भुगतान

कार्य का नाम	C/o Berandah and renovation to sarai in W/No 3
ठेकेदार	Sh.Ashwani Kumar
ठेका आवंटन पत्र संख्या	976-77 Dt. 30.10.2021
माप पुस्तिका संख्या	45 पृष्ठ संख्या 28 से 31
वाउचर संख्या व दिनांक	शून्य दिनांक 25.07.2022
रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	179

क्रम संख्या	मद संख्या	मद का नाम	दर ₹	भुगतान की गई मात्रा	वास्तविक निष्पादित कार्य प्रमात्रा	अधिक भुगतान मात्रा	कुल अधिक भुगतान ₹
1	9	Brick Work with common burnt clay etc.	5400/- घ.मी.	2.82/- घ.मी.	2.52 घ.मी.	0.30 घ.मी.	1620
						कुल योग	1620/-

ख) गणना में चूक के कारण ₹1216/- का अधिक भुगतान

कार्य का नाम	C/o Community bathroom near Sarai in W/No.3
--------------	---

ठेकेदार	Sh. Raman Kumar
ठेका आबंटन पत्र संख्या	970-71 Dt. 30.10.2021
माप पुस्तिका संख्या	45 पृष्ठ संख्या 21 से 24
वाउचर संख्या व दिनांक	शून्य दिनांक 25.07.2022
रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	178

क्रम संख्या	मद संख्या	मद का नाम	दर ₹	भुगतान की गई मात्रा	वास्तविक निष्पादित कार्य प्रमात्रा	अधिक भुगतान मात्रा	कुल अधिक भुगतान ₹
1	3	Brick Work with common burnt clay etc.	5200/- प्रति घ.मी.	3.54/- प्रति घ.मी.	3.46 प्रति घ.मी.	0.08 प्रति घ.मी.	416
2	5(iii)	Edges of Slaves & Breaks in Floor etc.	120/- प्रति मीटर	17.40/- प्रति मीटर	15.40/- प्रति मीटर	2.00/- प्रति मीटर	240
3	6	R:C:C Work in Beems Etc.	5600/- प्रति घ.मी.	3.52/- प्रति घ.मी.	3.42/- प्रति घ.मी.	0.1/- प्रति घ.मी.	560
						कुल योग	1216/-

13.5 प्रशासनिक अनुमोदन के बिना ₹13.49 लाख के निर्माण कार्यों का निष्पादन :-

उप सचिव, शहरी विकास विभाग, शिमला-2 हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या यू.डी.- ए.(3)5/2007 दिनांक 10.03.2010 के नियम 2(3) के अनुसार नगर पालिका ₹5/- लाख तक के कार्यों के प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने हेतु सक्षम है व ₹5/- लाख से अधिक के कार्यों हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य था। लेकिन जाँच के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत गगरेट द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ₹5/- लाख से अधिक के कार्यों हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के बगैर किया गया है जो की अनियमित है। निदेशक,

शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किए बिना करवाए गए ₹13,48,847/- के कार्यों का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (₹)
1	Partition work of new NP Office	834698
2	Extra width to path rosin mill gate ward No. 6	514149
	कुल योग	1348847

उक्त प्रकरण सचिव नगर पंचायत गगरेट के ध्यानार्थ चर्चा दौरान लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में उनके द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

13.6 कार्य स्थल पर लाये गये एवं उपयोग किये गये निर्माण सामग्री की प्रमात्रा पर नियमानुसार ₹0.86/-लाख की रॉयल्टी तथा 1.07/- लाख का श्रम उपकर को जमा न करना:-

प्रधान सचिव (उद्योग) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या खण्ड -II (एफ) 6-5/2006 दिनांक 16.01.2012 तथा हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग (भूगर्भीय शाखा) (Himachal Pradesh of Industries – Geoligical Wing) द्वारा जारी Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and storage) Rules,2015 की दूसरी अनुसूची में निर्माण कार्यों में उपयोग किये जाने वाले क्षुद्र खनिज जैसे पत्थर, रेत, बजरी, चूना पत्थर तथा संगमरमर आदि पर समय – समय पर निर्धारित दरों के अनुसार रॉयल्टी देय है। अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य बिलों का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभिन्न कार्य स्थलों पर वर्ष 2022-23 हेतु पत्थर, रेत, बजरी का उपयोग किया गया जिसके सन्दर्भ में निम्न विवरणानुसार तथा सलग्न (परिशिष्ट -ड) अनुसार रॉयल्टी के रूप में ₹107527/- तथा श्रम कर के रूप में ₹85942/- की राशि की कटौती तो संविदाकारों से की गई थी, परन्तु उक्त राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं करवाया गया था, जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 255/23 दिनांक 20.11.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या न.प/गगरेट/846 दिनांक 28.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त राशि सबन्धित विभाग में जमा करवा दी जाएगी तथा अनुपालना से अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

Sr No.	MB No. & page no.	Name of Works	Labour Cess Deducted	Labour Cess deposited	Labour Cess Less deposited	Royalty Deducted	Royalty Deposited	Royalty Less
								Deposited
1	44/15	Renovation of hall and stair case at bus stand	813	0	813	0	0	0
2		Erection of street light point	518	0	518	0	0	0
3	44/19	R/M of path near house of Kaka Ram in Ward no. 4	1343	0	1343	4455	0	4455
4	44/27 44/29	Laying of sewer line in NP Office/ P/L Water supply sanitary fitting	2190	0	2190	1542	0	1542
5	44/35	Improvement of path Radha Swami Satsang ward no. 5,7	1680	0	1680	5390	0	5390
6	44/60	partiation work of New NP office	10858	0	10858	0	0	0
7	44/62	Completion of shead at Goushala	2791	0	2791	0	0	0
8	44/65	Construction of shead at Goushala	1852	0	1852	0	0	0
9	45/31	construction of Verandah and renovation of sarai ward no. 3	1925	0	1925	2481	0	2481

10	45/21	R/M Of various path in NP	866	0	866	2723	0	2723
11	45/24	construction of community Bathroom near sarai Ward no. 3	929	0	929	670	0	670
12	45/25	Water Supply fitting in Com.bathrom	200	0	200	0	0	0
13	45/27	Improvement of path Una road near Gugugi Di Hatti Ward No. 2	2242	0	2242	2974	0	2974
14	45/34	Construction of path near house of Ragnath Ward No. 3	661	0	661	1854	0	1854
15	45/44	Renovation/ c/o of Verandah sarai Ward No. 3	983	0	983	1743	0	1743
16	45/62	Construction of Path Near Tiwari surgicle Ward no. 6	2215	0	2215	4619	0	4619
17	45/60	Improvement of Path near House of Mukhtyar ward no. 4	1303	0	1303	1449	0	1449
18	45/66, 70,74	P/F high mast light Ward no 4,5,7	13150	0	13150	0	0	0
19	44/71	Improvement of Path to wards Ashwani Kumar House ward no. 4	5137	0	5137	7002	0	7002

20	45/82	Improvement of Path Radha Swami Satsang Ward no. 5	2497	0	2497	4375	0	4375
21	44/72	Brick work and Strong room GSSS Gagret	148	0	148	0	0	0
22	45/86	C/R of CC wall around T no. 95 Ward no. 4	3443	0	3443	10830	0	10830
23		Work done by JCB in NP Gagret	448	0	448	0	0	0
24	45/90	Improvement of Ashram road Ward no. 3 Phase III	7222	0	7222	8619	0	8619
25	46/3	Construction of park at bus stand ward no. 5	3656	0	3656	2722	0	2722
26	44/77	Extra Width to path rosin mill gate ward no. 6	3022	0	3022	9806	0	9806
27	44/80	Improvement of path from Una Road to GSSS Gagret Ward no. 5	1550	0	1550	1668	0	1668
28	46/10	P/F angle iron and flat trench cover with frame in Ward no. 5	536	0	536	260	0	260
29	46/12	Laying on slab on well near sarai ward no. 3	347	0	347	232	0	232
30	46/30	Improvement of path near house Shadi Lal ward no. 3	858	0	858	1096	0	1096

31	46/32	Improvement of path & extra width mohla ranaya ward no. 4	2154	0	2154	3739	0	3739
32	46/36	improvement of path Una Road near shiv mandir ward no. 4	2098	0	2098	7370	0	7370
33	46/37	C/O Park at Bus Stand in w.no.5	1576	0	1576	2765	0	2765
34	46/40	Improvement of Ashram Road in ward.no.3 Phase IV	2384	0	2384	2402	0	2402
35	46/34	Improvement of Path towards the H/O Sh.Mohan Lal In w.no.4	2347	0	2347	14741	0	14741
		Grand Total	85942	0	85942	107527	0	107527

हालांकि अंकेक्षण द्वारा आपत्ति दर्ज करने के पश्चात आश्वासन दिया गया कि समस्त राशि सम्बन्धित संस्थाओं/विभागों को प्रेषित कर दी जाएगी परन्तु यदि सम्बन्धित संस्था/विभाग द्वारा देरी से राशि जमा करवाने के विरुद्ध कोई दण्ड ब्याज/जुर्माना लगाया जाता है तो पूर्ण दायित्व/जिम्मेवारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी की पूर्ण रूप से निजी होती है। अतः काटी गई राशियों को शीघ्र सम्बन्धित संस्था/विभाग में जमा करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

- 14 अग्रिम :-** नगर पंचायत गगरेट द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में किसी भी अधिकारी / कर्मचारी को अग्रिम जारी नहीं किया गया था।

15 अन्य :-

(i) कर्मचारी अंशदान व नियोक्ता अंशदान का रजिस्टर तैयार न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 का कर्मचारी अंशदान व नियोक्ता अंशदान का रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था | जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कर्मचारी अंशदान व नियोक्ता अंशदान रजिस्टर को तैयार एवं अद्यतन (Update) करने के उपरांत सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

(ii) शीर्षवार वर्गीकृत खाता बहियाँ तैयार न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्राप्ति ₹34752386/- व व्यय ₹24973623/- दर्शाया गया है, परन्तु वर्णित आय व व्यय की मदवार खाता बहियों को तैयार नहीं किया गया था जिसके कारण अंकेक्षण में यह पुष्टि सम्भव न हो सकी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जिस शीर्ष के अंतर्गत जितनी आय प्राप्त की गई थी क्या वास्तव में उस शीर्ष के अंतर्गत उतनी ही आय प्राप्त की गई है व जिस शीर्ष के अंतर्गत जितना व्यय दर्शाया गया था, वास्तव में उस शीर्ष के अंतर्गत उतना ही व्यय किया गया है | अतः शीर्षवार वर्गीकृत खाता बहियाँ तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अब शीर्षवार वर्गीकृत खाता बहियाँ तैयार न करने के उपरांत सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाएँ |

(iii) बजट रजिस्टर का अनुरक्षण न करना :-

नगर पंचायत द्वारा व्यय से सम्बन्धित बजट रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था | जबकि नियमानुसार बजट रजिस्टर का अनुरक्षण करना अनिवार्य है, ताकि स्वीकृत बजट के अनुसार ही व्यय पर नियन्त्रण रखा जा सके | वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट रजिस्टर तैयार

किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत किए गए व्ययों को स्वीकृत बजट अनुसार ही व्यय किया गया है अथवा नहीं एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 लघु आपत्ति विवरणिका :- यह अलग से जारी नहीं की गई है।

17 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।



(अनिल कुमार मेहरा)

उप निदेशक,

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला-171009.

दूरभाष -0177-2620881

७/८


05 MAR 2024

1165-1167

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0) (V)69/81 खण्ड-4 दिनांक: शिमला-171009,
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- 1) निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 को पैरा संख्या: 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2) उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधान सभा, शिमला-04 (हि0प्र0) को सूचनार्थ प्रेषित है।
- पंजीकृत : 3) सचिव, नगर पंचायत गगरेट, जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

05 MAR 2024



(अनिल कुमार मेहरा)

उप निदेशक,

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला-171009.

दूरभाष -0177-2620881

७/८

पैरा संख्या -1(घ) से संदर्भित

परिशिष्ट "क"

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की सूची :-

1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/1982 से 03/1984

1.	पैरा-16	अनिर्णीत।	
----	---------	-----------	--

2) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1984 से 03/1985

1.	पैरा-24 (ii)	अनिर्णीत।	
----	--------------	-----------	--

3) संयुक्त निदेशक तथा परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का 09.12.1993 व 10.12.1993 का नोट :-

1	पैरा- 2	अनिर्णीत।	
2	पैरा- 2	अनिर्णीत।	

4) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1988 से 03/1995

1	पैरा- 8(ख)	अनिर्णीत।	
2	पैरा- 9	अनिर्णीत।	
3	पैरा- 11	अनिर्णीत।	
4	पैरा- 14	अनिर्णीत।	
5	पैरा- 15(ii)	अनिर्णीत।	
6	पैरा- 15(iv)	अनिर्णीत।	

5) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1995 से 03/2004

1	पैरा- 7 (1)	अनिर्णीत।	
2	पैरा- 14	अनिर्णीत।	

3	पैरा- 24	निर्णीत।	₹1152/- वसूली की पुष्टि तथा सटिप्पण उत्तरानुसार मूल अभिलेख की सत्यापना उपरान्त
4	पैरा- 26	अनिर्णीत।	
5	पैरा- 29	अनिर्णीत।	
6	पैरा- 35	अनिर्णीत।	
7	पैरा- 36	अनिर्णीत।	
8	पैरा- 38	अनिर्णीत।	
9	पैरा- 41	अनिर्णीत।	

6) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2004 से 03/2007

1	पैरा- 7(iv)	अनिर्णीत।	
---	-------------	-----------	--

7) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2011

1	पैरा- 5.2	अनिर्णीत।	
2	पैरा- 6.4	अनिर्णीत।	
3	पैरा- 7.2	अनिर्णीत।	
4	पैरा- 7.5	अनिर्णीत।	
5	पैरा- 8.3	अनिर्णीत।	
6	पैरा- 8.6	अनिर्णीत।	
7	पैरा- 8.7	अनिर्णीत।	
8	पैरा- 8.8	अनिर्णीत।	
9	पैरा- 9	निर्णीत।	₹2125/- वसूली की पुष्टि तथा सटिप्पण उत्तरानुसार मूल अभिलेख की सत्यापना उपरान्त
10	पैरा- 9.2	अनिर्णीत।	
11	पैरा- 9.3	अनिर्णीत।	
12	पैरा- 10	निर्णीत।	सटिप्पण उत्तरानुसार तथा मूल अभिलेख की सत्यापना उपरान्त

13	पैरा- 12	अनिर्णीत ।	
14	पैरा- 13	अनिर्णीत ।	
15	पैरा- 14	अनिर्णीत ।	
16	पैरा- 15	अनिर्णीत ।	

8) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2011 से 03/2013

1	पैरा- 5.3	अनिर्णीत ।	
2	पैरा- 6.4	अनिर्णीत ।	
3	पैरा- 6.5	अनिर्णीत ।	
4	पैरा- 8.1	अनिर्णीत ।	
5	पैरा- 8.2	अनिर्णीत ।	
6	पैरा- 8.3	अनिर्णीत ।	
7	पैरा- 10	अनिर्णीत ।	
8	पैरा- 11	अनिर्णीत ।	

9) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2014

1	पैरा- 5.4	अनिर्णीत ।	
2	पैरा- 6.5	अनिर्णीत ।	
3	पैरा- 6.6	अनिर्णीत ।	
4	पैरा- 6.7	अनिर्णीत ।	
5	पैरा- 6.8	अनिर्णीत ।	
6	पैरा- 8.1	अनिर्णीत ।	
7	पैरा- 8.3	अनिर्णीत ।	
8	पैरा- 9.1	अनिर्णीत ।	
9	पैरा- 9.2	अनिर्णीत ।	
10	पैरा- 10	अनिर्णीत ।	

10) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2016

1	पैरा- 7	अनिर्णीत।	
2	पैरा- 8	अनिर्णीत।	
3	पैरा- 10	अनिर्णीत।	
4	पैरा- 11	अनिर्णीत।	
5	पैरा- 13	निर्णीत।	65,322/- वसूली की पुष्टि तथा सटिप्पण उत्तरानुसार मूल अभिलेख की सत्यापना उपरान्त
6	पैरा- 15	अनिर्णीत।	
7	पैरा- 16	अनिर्णीत।	
8	पैरा- 17	अनिर्णीत।	
9	पैरा- 18	अनिर्णीत।	
10	पैरा- 19	अनिर्णीत।	
11	पैरा- 20	अनिर्णीत।	
12	पैरा- 23	अनिर्णीत।	
13	पैरा- 24	अनिर्णीत।	
14	पैरा- 25	अनिर्णीत।	
15	पैरा- 27	अनिर्णीत।	
16	पैरा- 29	अनिर्णीत।	
17	पैरा- 30	अनिर्णीत।	
18	पैरा- 31	अनिर्णीत।	
19	पैरा- 32	अनिर्णीत।	
20	पैरा- 34	अनिर्णीत।	
21	पैरा- 35	अनिर्णीत।	
22	पैरा- 36	अनिर्णीत।	
23	पैरा- 37	अनिर्णीत।	

24	पैरा- 38	अनिर्णीत।	
----	----------	-----------	--

11) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2016 से 03/2018

1	पैरा- 7(ख)	अनिर्णीत।	
2	पैरा- 7 (ग)	अनिर्णीत।	
3	पैरा- 8 (ड)	निर्णीत।	186898/- वसूली की पुष्टि तथा सटिप्पण उत्तरानुसार मूल अभिलेख की सत्यापना उपरान्त
4	पैरा- 8 (च)	अनिर्णीत।	
5	पैरा- 8 (छ)	अनिर्णीत।	
6	पैरा- 9	अनिर्णीत।	
7	पैरा- 10	अनिर्णीत।	
8	पैरा- 11	अनिर्णीत।	
9	पैरा- 12	अनिर्णीत।	
10	पैरा- 13	अनिर्णीत।	
11	पैरा- 15	अंशतः निर्णीत।	
12	पैरा- 16(क)	अनिर्णीत।	
13	पैरा- 16(ख)	अनिर्णीत।	
14	पैरा- 16(ग)	अनिर्णीत।	
15	पैरा- 17	अनिर्णीत।	
16	पैरा- 18	अनिर्णीत।	
17	पैरा- 19	अनिर्णीत।	

12) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2018 से 03/2020

1	पैरा- 6 (ख)	अनिर्णीत।	
2	पैरा- 7 (ख)	अनिर्णीत।	
3	पैरा- 8 (ख)	अनिर्णीत।	
4	पैरा- 9 (ख)	अनिर्णीत।	

5	पैरा- 9 (ग)	अनिर्णीत ।	
6	पैरा- 12	निर्णीत ।	74156/- वसूली की पुष्टि तथा सटिप्पण उत्तरानुसार मूल अभिलेख की सत्यापना उपरान्त
7	पैरा- 13(क)	अनिर्णीत ।	
8	पैरा- 13(ख)	अनिर्णीत ।	
9	पैरा- 15	अनिर्णीत ।	
10	पैरा- 16	निर्णीत ।	66821/- वसूली की पुष्टि तथा सटिप्पण उत्तरानुसार मूल अभिलेख की सत्यापना उपरान्त
11	पैरा- 17(i)	अनिर्णीत ।	
12	पैरा- 17(ii)	अनिर्णीत ।	
13	पैरा- 17(iii)	अनिर्णीत ।	
14	पैरा- 17(iv)	अनिर्णीत ।	
15	पैरा- 17(v)	अनिर्णीत ।	
16	पैरा- 17(vi)	अनिर्णीत ।	
17	पैरा- 18(i)	अनिर्णीत ।	
18	पैरा- 18(ii)	अनिर्णीत ।	
19	पैरा- 18(iii)	अनिर्णीत ।	
20	पैरा- 18(iv)	अनिर्णीत ।	
21	पैरा- 19	अनिर्णीत ।	
22	पैरा- 20	निर्णीत ।	सटिप्पण उत्तरानुसार मूल अभिलेख की सत्यापना उपरान्त
23	पैरा- 21	अनिर्णीत ।	
24	पैरा- 22(i)	अनिर्णीत ।	
25	पैरा- 22(ii)	अनिर्णीत ।	
26	पैरा- 22(iii)	अनिर्णीत ।	

27	पैरा- 23	अनिर्णीत।	
28	पैरा- 25	अनिर्णीत।	
29	पैरा- 26(i)	निर्णीत।	सटिप्पण उत्तरानुसार मूल अभिलेख की सत्यापना उपरान्त
30	पैरा- 26(ii)	निर्णीत।	सटिप्पण उत्तरानुसार मूल अभिलेख की सत्यापना उपरान्त
31	पैरा- 27(i)	अनिर्णीत।	
32	पैरा- 27(ii)	निर्णीत।	20/- वसूली की पुष्टि तथा सटिप्पण उत्तरानुसार मूल अभिलेख की सत्यापना उपरान्त
33	पैरा- 28	निर्णीत।	सटिप्पण उत्तरानुसार मूल अभिलेख की सत्यापना उपरान्त
34	पैरा- 29(क)	अनिर्णीत।	
35	पैरा- 29(ख)	अनिर्णीत।	
36	पैरा- 29(ग)	अनिर्णीत।	
37	पैरा- 29(घ)	अनिर्णीत।	
38	पैरा- 31	अनिर्णीत।	
39	पैरा- 32	निर्णीत।	440/- वसूली की पुष्टि तथा सटिप्पण उत्तरानुसार मूल अभिलेख की सत्यापना उपरान्त
40	पैरा- 34	अनिर्णीत।	
41	पैरा- 35	अनिर्णीत।	
42	पैरा- 36	अनिर्णीत।	
43	पैरा- 37	अनिर्णीत।	

13) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2020 से 03/2022

1	पैरा- 3	निर्णीत।	अंकेक्षण शुल्क की राशि को PNB गगरेट के बैंक ड्राफ्ट संख्या 551907 दिनांक 30.05.2022 द्वारा निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को भेज दिया गया।
2	पैरा-4	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4 में पुनः प्रारूपित।
3	पैरा-5	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 5 में पुनः प्रारूपित।
4	पैरा-6	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6 में पुनः प्रारूपित।
5	पैरा- 7 (क)	अनिर्णीत।	
6	पैरा- 7 (ख)	अनिर्णीत।	
7	पैरा- 8 (क)	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10.1 में पुनः प्रारूपित।
8	पैरा- 8 (ख)	अनिर्णीत।	
9	पैरा- 9 (क)	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10.4 में पुनः प्रारूपित।
10	पैरा- 9 (ख)	अनिर्णीत।	
11	पैरा- 9 (ग)	अनिर्णीत।	
12	पैरा- 10	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10.8 में पुनः प्रारूपित।
13	पैरा- 11	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10.7 में पुनः प्रारूपित।

14	पैरा- 12	अनिर्णीत।	
15	पैरा- 13	निर्णीत।	70816/- वसूली की पुष्टि तथा सटिप्पण उत्तरानुसार मूल अभिलेख की सत्यापना उपरान्त
16	पैरा- 14 (क व ख)	अनिर्णीत।	
17	पैरा- 15	अनिर्णीत।	
18	पैरा- 16	अनिर्णीत।	
19	पैरा- 17 (क, ख)	अनिर्णीत।	
20	पैरा- 18	अनिर्णीत।	
21	पैरा- 19	अनिर्णीत।	
22	पैरा- 20 (क व ख)	अनिर्णीत।	
23	पैरा- 21	अनिर्णीत।	
24	पैरा- 22	निर्णीत।	₹360 की वसूली जी-8 संख्या 25/308 व 26/308 दिनांक 20.05.2022 द्वारा कर ली गई है।
25	पैरा- 23	अनिर्णीत।	
26	पैरा- 24	अनिर्णीत।	
27	पैरा- 25	अनिर्णीत।	
28	पैरा- 26	अनिर्णीत।	
29	पैरा- 27	निर्णीत।	₹6019 की वसूली जी-8 संख्या 28/360, 29/360 व 30/360 दिनांक 21.05.2022 द्वारा कर ली गई है।
30	पैरा- 28	अनिर्णीत।	
31	पैरा- 29	अनिर्णीत।	
32	पैरा- 30	अनिर्णीत।	
33	पैरा- 31	अनिर्णीत।	

34	पैरा- 32(क,ख)	निर्णीत	सटिप्पण उत्तरानुसार मूल अभिलेख की सत्यापना उपरान्त
35	पैरा- 32(ग,घ)	अनिर्णीत	
36	पैरा- 33	अनिर्णीत	
37	पैरा- 34	अनिर्णीत	
38	पैरा- 35	अनिर्णीत	
39	पैरा- 36	अनिर्णीत	
40	पैरा- 37	अनिर्णीत	
41	पैरा- 38	अनिर्णीत	
42	पैरा- 39	अनिर्णीत	
43	पैरा- 40	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 15(iii) में पुनः प्रारूपित
44	पैरा- 41	अनिर्णीत	
45	पैरा- 42	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 15(i) में पुनः प्रारूपित

पैरों का संक्षिप्त सार


दिनांक 31.03.2022 तक कुल अनिर्णीत पैरे	183
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	13
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए निर्णीत पैरे	26
31.03.2023 को कुल अनिर्णीत पैरे	170

पैरा संख्या 5(क) से स-दायत पर 1/1/22-रल

वित्तीय स्थिति(स्वयं स्रोत एवं अनुदान)

नगर पंचायत गगरेट के लेखाओ अवधि 01-04-2022 से 01-03-2023 तक के लेखो की वित्तीय स्थिति

वित्तीय वर्ष	शीर्ष	आरम्भिक शेष (रु)	आय (रु)	व्याज (रु)	कुल योग (रु) (3+4+5)	व्यय (रु)	अंतिम शेष (रु)
1	2	3	4	5	6	7	8
2022-23	स्वयं स्रोत	6283817	5829549	1259966	13373332	6323939	7049393
	अनुदान	29934095	27662871	0	57596966	18649684	38947282
	योग	36217912	33492420	1259966	70970298	24973623	45996675


 Secretary
 Nagar Panchayat Gagret
 Dist. Una (H.P.)

1/ संख्या 5(ख) से स-द्वारा पर 12/02 - 'रक'


बैंक समाधान विवरण

दिनांक 31-03-2023 को रोकड़ बही के अनुसार शेष					45996675
जमा :- बैंक निर्गमित किए गए लेकिन दिनांक 31-03-2023 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए :-					(+) 1173327
क्र०स०	चैक संख्या	दिनांक	बैंक का नाम	राशि	
1	RTGS	17-3-2023	पी.एन.वी बैंक गगरेट	4950	
2	RTGS	17-3-2023	पी.एन.वी बैंक गगरेट	207364	
3	RTGS	31-3-2023	पी.एन.वी बैंक गगरेट	135882	
4	RTGS	31-3-2023	पी.एन.वी बैंक गगरेट	191799	
5	RTGS	31-3-2023	पी.एन.वी बैंक गगरेट	41536	
6	RTGS	31-3-2023	पी.एन.वी बैंक गगरेट	177223	
7	RTGS	31-3-2023	पी.एन.वी बैंक गगरेट	260169	
8	545676	31-3-2023	पी.एन.वी बैंक गगरेट	39000	
9	545677	31-3-2023	पी.एन.वी बैंक गगरेट	30000	
10	545678	31-3-2023	पी.एन.वी बैंक गगरेट	18000	
11	545680	31-3-2023	पी.एन.वी बैंक गगरेट	18000	
12	545681	31-3-2023	पी.एन.वी बैंक गगरेट	18000	
13	545682	31-3-2023	पी.एन.वी बैंक गगरेट	18000	
14	545683	31-3-2023	पी.एन.वी बैंक गगरेट	3000	
15	545684	31-3-2023	पी.एन.वी बैंक गगरेट	3000	
16	545685	31-3-2023	पी.एन.वी बैंक गगरेट	3000	
17	000018	22-3-2023	एच. डी.एफ.सी. बैंक गगरेट	4404	
घटाव :- बैंक बैंक में जमा करवाए गए लेकिन बैंक द्वारा दिनांक 31-03-2023 तक जमा /बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया गया					(-) 50052
क्र०स०	चैक संख्या	दिनांक	बैंक का नाम	राशि	
1	65286	16-3-2023	पी.एन.वी बैंक गगरेट	17050	
2	737199	31-3-2023	पी.एन.वी बैंक गगरेट	33000	
3	दिनांक 31-03-2023 में प्राप्त आय 33947 के स्थान पर बैंक खाता संख्या 3986000100000010 में 33945 जमा करवाए गए कम जमा करवाए गए रु 2 बैंक खाता संख्या 3986000100000010 में दिनांक 13-09-2023 को जमा करवा दिए गए।			2	
दिनांक 31-03-2023 को बैंक खातों के अनुसार अंतिम शेष					47119950

पैरा संख्या 5(क) से स-दाअत पारा 2102-र

दिनांक 31.03.2023 को उपलब्ध पूंजी का विवरण :-

क्र०	बैंक	खाता संख्या	राशि (₹)
1	एच. डी. एफ. सी. बैंक गगरेट	50100487805140	5056201.00
2	एच. डी. एफ. सी. बैंक गगरेट	5010066640611	2314340.16
3	एच. डी. एफ. सी. बैंक गगरेट	50200335236060	21784582.30
4	पी. एन. बी. बैंक गगरेट	3986000100021110	10724832.83
5	पी. एन. बी. बैंक गगरेट	3986000100000010	4901817.00
6	पी. एन. बी. बैंक गगरेट	3986000100139774	61493.00
7	पी. एन. बी. बैंक गगरेट	3986000100128051	1751385.00
8	एस. बी. आई. बैंक गगरेट	65186448810	525299.00
		योग	47119950.29


Secretary
Nagar Panchayat Gagret
Distt. Una (H.P.)



(क) पेंशन एवं ग्रेच्युटी निधि की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है :-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	व्याज	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-2023	10073855.23	950838	286058	11310751	566708.72	10744042.51
योग						

(ख) दिनांक 31-03-2023 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष रु 10744042.51 :-


क्र० स०	विवरण	राशि
1.	दिनांक 31-03-2023 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष	10744042.51
	अंत शेष में अंतर	शून्य

(ग) दिनांक 31-03-2023 को अंतिम शेष राशि का विवरण:-

क्र० स०	बैंक का नाम	वचत खाता संख्या	दिनांक 31-03-2023 को शेष राशि
	पी .एन .वी . बैंक गगरेट	3986000100023172	10744042.51
योग(क)			10744042.51

(घ) दिनांक 31-03-2023 को सावधि जमा योजना व हस्तगत राशि का विवरण :-

क्र० स०	विवरण	राशि
1.	सावधि जमा योजना में निवेशित राशि (ख)	शून्य
2.	हस्तगत राशि (ग)	शून्य



Secretary
Nagar Panchayat Gagret
Distt. Una (H.P.)

पैरा संख्या 6(क) से स-दाप्त पारिशद - 'प'

वित्तीय स्थिति (अनुदान)

नगर पंचायत गगरेट के अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2023 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति :-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	व्याज	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय राशि	अंतिम शेष
2022-23	29934095	27662871	0	57596966	18649684	38947282


Secretary
Nagar Panchayat Gagret
Distt. Una (H.P.)


Grant Wise Fund Flow Nagar Panchayat Gagret 2022-23

Handwritten signatures and initials in the top right corner.


Sr. No.	Sanctioning Authority	Name of Head	Letter No	Opening Balance	Grant Received	Total	Expenditure	Closing Balance	Cash book page No	Utilisation status	Remarks
1	Director UD	5th SFC Grant	UD-H(G)(10)-1/2022-SFC Award -25021-25084 Dt. 5-8-2022	0	2494811 7409110				182 182		
2	Director UD	14th FC.	UD-H(G)(10)-1/2020-7900-88 Dt-11-04-2022	8805137	9903921	18709058	8527323	10181735		Not Sent	
3	Director UD	15th FC.	UD-H(G)(10)-1/2020-CFC release Dt-31-08-2022	1813582						Sent	UC Sent on dated 14-10-2022
			UD-H(G)(10)-1/2020-CFC release 28040-28109 Dt-31-08-2023	13109792							
			UD-H(G)(10)-1/2020-CFC release 43197-258 Dt-14-11-22	0	1479056				157		
			UD-H(G)(10)-1/2020-CFC release 42259-42320 Dt-14-11-22	0	1479056				186		
			UD-H(G)(10)-1/2020-CFC release 60560-662 Dt-2-3-23	0	2218584				186		
			UD-H(G)(10)-1/2020-CFC release 60623-85 Dt-2-3-23	0	6905				8		
			Total	0	4891				8		
				0	1535943				42		
				14923374	2303915	23951724	3274015	20677709	42		Not Sent
4	DC	DC Grant for Gosadan		1300000	0	1300000	473992	826008		Not Sent	
5	Executive	Damage path by IPH		1082952	0	1082952	636940	446012		Not Sent	
6	Director UD	SBM ITC		63385				63385		Not Sent	
7	Director UD	M/SULB road		938353	0	938353	938353	0		Sent	UC sent on dated 11-05-2023
8	Director UD	C/o Parking		898414	0	898414	0	898414		Not Sent	
9	Director UD	C/o Park		1237922	0	1237922	1129061	108861		Not Sent	
10	Director UD	Solid waste Management		684558	0	684558		684558		Not Sent	
11	Director UD	Grant MIMSAGY	UD-H(F)Misc-MIMSAGY 20028-43 Dt 06-09-2022	0	60600	60600	0	60600	200	Not Sent	
12	Director UD	Assy	Offline Dt 6-09-2022	0	5000000	5000000	0	5000000	189	Not Sent	
13	Director UD	PMA(MHFA)		0	485000					Not Sent	
	Director UD			0	350000					Not Sent	
	Director UD			0	110000					Not Sent	
	Director UD			0	353000					Not Sent	
	Director UD			0	200000					Not Sent	
	Director UD			0	285000					Not Sent	
	Director UD			0	230000					Not Sent	
	Director UD			0	400000					Not Sent	
	Director UD			0	100000					Not Sent	
	Director UD			0	105000					Not Sent	
	Director UD			0	85000					Not Sent	
	Director UD			0	225000					Not Sent	
	Director UD			0	170000				4	Not Sent	



Director UD	0	155000	155000	0	10	Not Sent
Director UD	0	100000	100000	0	10	Not Sent
Director UD	0	100000	100000	0	12	Not Sent
Director UD	0	35000	35000	0	17	Not Sent
Total		3670000	3670000			
Grand Total	29934095	27662871	57596966	18649684	38947282	


Secretary
Nagar Panchayat Gagret
Distt. Una (H.P.)

-60-




परिशासक 10.1, 10.5 व 10.9 के सन्दर्भ में परिशासक 'उ.प.' 06

गृहकर (नगर पंचायत गगरेट)

नगर पंचायत गगरेट के अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2023 को गृहकर की वकाया राशि की स्थिति


वर्ष	प्रारम्भिक शेष	मांग	कुल योग	प्राप्ति	छूट	अंत शेष
2022-23	2958842	1130140	4088982	781656	67385	3239941


Secretary
Nagar Panchayat Gagret
Distt. Una (H.P.)

चुल्हा कर (नगर पंचायत गगरेट)

नगर पंचायत गगरेट के अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2023 को चुल्हा कर की वकाया राशि की स्थिति


वर्ष	प्रारम्भिक शेष	मांग	कुल योग	प्राप्ति	अंत शेष
2022-23	52040	32400	84440	25050	59390


Secretary
Nagar Panchayat Gagret
Distt. Una (H.P.)

दुकानों का किराया (नगर पंचायत गगरेट)

नगर पंचायत गगरेट के अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2023 को दुकानों के किराए की वकाया राशि की स्थिति


वर्ष	प्रारम्भिक शेष	मांग	कुल योग	प्राप्ति	अंत शेष
2022-23	635247	753575	1388822	784815	604007


Secretary
Nagar Panchayat Gagret
Distt. Una (H.P.)

Statement of outstanding Balance of Mobile Towers as on 31.03.2023

Sr. No	Tower company	Outstanding as on 01.04.2022	Due for the year 2022-23	Total	Rental realized during 2022-23	Outstanding as on 31.03.2023
1	BSNL Ward No.05	50000	0	50000	0	50000
2	Airtel Ward No. 01	46875	0	46875	0	46875
3	Airtel Ward No. 07	46875	0	46875	0	46875
4	Vodafone Ward No . 07	56250	0	56250	0	56250
5	AIRCEL Ward No. 07	28750	0	28750	0	28750
6	Reliance Ward No. 06	33750	0	33750	0	33750
7	Jio Ward No. 01(Ajay)	0	0	0	0	0
8	Jio Ward No. 01(Bansi)	0	0	0	0	0
9	Jio Ward No. 01(surinder)	0	0	0	0	0
10	Jio Ward No. 04 (Dr. Bhagirath)	0	0	0	0	0
	Total	262500	0	262500	0	262500

Note :- Annual Demand for 2022-23 is nill due to the clause 6 (G) of chapter 2 of right of way policy , 2021 notified by I.T department Government of Himachal Pradesh vide Notification No. I.T (F)1-1/2020 dated 09-02-2021. There is only provision of clearing all the outstanding Urban Department Tax or any other dues payable upon the land and building applied for installation of telegraph infrastructure it is also certified that no Mobile Tower has been installed on the land of Nagar Panchayat .



Secretary
Nagar Panchayat Gagre
Distt Una (H.P.)

परा संख्या 10.11 से स-दागत पारिशद - (2)

60


RTI Fees : 01.04.2022 to 31.03.2023

Sr. No	Name S/O / W/O / D/O	Receipt No.	Date	Fee
1	Sh Ankur Hira S/o Sh Durga Dass	G/8 19/307	18.6.2022	10
2	Sh Dharamvir Thakur S/o Jagdish Singh	G/8 13/308	25.07.2022	10
3	Sh. Hardev Singh S/o Bhagwan	G/8 15/311	20.10.2022	50
4	Smt. Jyoti Sharma D/o Sh. Raj Kumar	G/8 15/311	20.10.2022	10
5	Sh. Ashwinder Chadda	G/8 15/311	20.10.2022	10
6	Smt. Jyoti Sharma D/o Sh. Raj Kumar	G/8 15/311	20.10.2022	10
7	Sh. Lochan Singh S/o Basant Singh	G/8 46/312	21.11.2022	10
8	Smt . Vijay Kumari W/o Raj Kumar	G/8 1/315	21.01.2023	10
9	Sh Dharamvir Thakur S/o Jagdish Singh	G8 48/319	15.02.2023	10
	Total Amount			130


Secretary
Nagar Panchayat Gagret
Distt. Una (H.P.)

पैरा संख्या 10-13 से सहायक परिसर - अ


विवरण	संख्या	अधिसूचना अनुसार निर्धारित दरे (मासिक)	मासों की संख्या (01.04.2022 से 31.03.2023)	वसूली योग्य राशि (01.04.2022 से 31.03.2023)	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि
घर	921	30	12	331560	287080	44480
दुकान	615	50	12	369000	169230	199770
बैंक	06	1000	12	72000	34000	38000
बैंक	01	100	12	1200	1200	00
स्कूल	07	100	12	8400	5500	2900
कार्यालय	14	200	12	33600	7500	26100
कुल योग				8,15,760	5,04,510	3,11,250


 Secretary
 Nagar Panchayat Gagret
 Distt. Una (H.P.)

क्र. संख्या 18-1 से स-दामन परीक्षा - ८

Sr. No.	Name of Work	MB No.& Page no.	Tender Amount	Total Expenditure	Difference	%age	Excess &
							Lesser
1	Renovation of hall and stair case at bus stand	44/15	84519	81270	3249	3.84	Lesser
2	partition work of New NP office	44/60	911779	1085780	174001	19.08	Excess
3	Completion of shed at Gaushala	44/62	287590	279134	8456	2.94	Lesser
4	Construction of shed at Gaushala	44/65	774133	966030	191897	24.79	Excess
5	C/O of Veranda and renovation of Sarai ward no. 3	45/31,44	252744	290771	38027	11.09	Excess
6	Construction of community Bathroom near Sarai Ward no. 3	45/24	228150	222109	6041	2.65	Lesser
7	Construction of path near house of Raghunath Ward No. 3	45/34	83300	66059	17241	20.7	Lesser
8	Construction of Path Near Tiwari surgical Ward no. 6	45/62	261913	221475	40438	15.44	Lesser
9	Improvement of Path near House of Mukhtyar ward no. 4	45/60	163200	130339	32861	20.14	Lesser
10	P/F high mast light Ward no 5,	45/66,	430600	424125	6475	1.5	Lesser
11	P/F high mast light near in W. no 4,	45/70,	435350	422050	13300	3.06	Lesser
12	P/F high mast light inW.no 7,	45/74	435350	468825	33475	7.69	Excess
13	Improvement of Path towards the Ashwani Kumar House ward no. 4	44/71	468392	513708	45316	9.67	Excess
14	Imp.of Path from Radha Swami center upto the H/O Rajiv Kumar Ward no. 5	45/82	344098	249684	94414	27.44	Lesser
15	C/R of CC wall around T no. 95 Ward no. 4	45/86	321272	344267	22995	7.16	Excess
16	Improvement of Ashram road Ward no. 3 Phase III	45/90	656847	722216	65369	9.95	Excess
17	Construction of park at bus stand ward no. 5	46/3	295136	365562	70426	23.86	Excess

18	Extra Width to path rosin mill gate ward no. 6	44/77	359904	302193	57711	16.04	Lesser
19	Improvement of path from Una Road to GSSS Gagret Ward no. 5Phase I	44/80	233893	154986	78907	33.74	Lesser
20	Improvement of path near house Shadi Lal ward no. 3	46/30	98705	85799	12906	13.07	Lesser
21	Improvement of path & extra width mohla ranaya ward no. 4	46/32	232529	215377	17152	7.38	Lesser
22	Improvement of path Una Road near shiv mandir ward no. 4&5	46/36	209913	209766	147	0.07	Lesser
23	C/O Park at Bus Stand in w.no.5 (Misc.Work.)	46/37	141201	157554	16353	11.58	Excess
24	Improvement of Ashram Road in ward.no.3 Phase IV	46/40	235142	238371	3229	1.37	Excess
25	Improvement of Path towards the H/O Sh.Mohan Lal In w.no.4	46/34	195862	234704	38842	19.83	Excess


Secretary
Nagar Panchayat Gagret
Distt. Una (H.P.)

परी संख्या 13.2 से रा-दा/म न पर/श/५२-४

Sr. No.	Name of Work	MB & Page No.	Delay in execution	Estimated Cost	Penalty	Time Period
1	Renovation of hall and stair case at bus stand	44/15	56 Days	76637	845	2 Month
2	partition work of New NP office	44/60	109days	834698	9118	2 Month
3	Construction of shed at Gaushala	44/65	50 days	940150	7741	2 Month
4	C/O of Veranda and renovation of Sarai ward no. 3	45/31,44	215 days	283814	2527	3 Month
5	Construction of community Bathroom near Sarai Ward no. 3	45/24	88days	254690	2282	3 Month
6	Construction of path near house of Raghunath Ward No. 3	45/34	3 Days	93036	833	1 Month
7	Improvement of Path from Radha Swami center upto the H/O Rajiv Kumar Ward no. 5	45/82	630 days	359160	3441	2 Month
8	C/R of CC wall around T no. 95 Ward no. 4	45/86	4 Days	364834	3213	1Month
9	Improvement of Ashram road Ward no. 3 Phase III	45/90	3 Days	938353	6568	1Month
10	Construction of park at bus stand ward no. 5	46/3	35 Days	278500	2951	1 Month
11	Extra Width to path rosin mill gate ward no. 6	44/77	21 Days	514149	3599	1Month
12	Improvement of path from Una Road to GSSS Garget Ward no. 5Phase I Ward no. 4	44/80	50 Days	238937	2339	1Month
				Total	45457	

Secretary
Nagar Panchayat Gagret
Distt. Una (H.P.)

पूरा संख्या 13.6 से स-दागत परीक्षा-3

85

Sr No.	MB No. & page no.	Name of Works	Labour Cess Deducted	Labour Cess deposited	Labour Cess Less deposited	Royalty Deducted	Royalty Deposited	Royalty
								Less Deposited
1	44/15	Renovation of hall and stair case at bus stand	813	0	813	0	0	0
2		Erection of street light point	518	0	518	0	0	0
3	44/19	R/M of path near house of Kaka Ram in Ward no. 4	1343	0	1343	4455	0	4455
4	44/27 44/29	Laying of sewer line in NP Office/ P/L Water supply sanitary fitting	2190	0	2190	1542	0	1542
5	44/35	Improvement of path Radha Swami Satsang ward no. 5,7	1680	0	1680	5390	0	5390
6	44/60	partition work of New NP office	10858	0	10858	0	0	0
7	44/62	Completion of shed at Gaushala	2791	0	2791	0	0	0
8	44/65	Construction of shed at Gaushala	1852	0	1852	0	0	0
9	45/31	construction of Verandah and renovation of sarai ward no. 3	1925	0	1925	2481	0	2481
10	45/21	R/M Of various path in NP	866	0	866	2723	0	2723
11	45/24	construction of community Bathroom near sarai Ward no. 3	929	0	929	670	0	670
12	45/25	Water Supply fitting in Com.bathrom	200	0	200	0	0	0
13	45/27	Improvement of path Una road near Gugugi Di Hatti Ward No. 2	2242	0	2242	2974	0	2974
14	45/34	Construction of path near house of Raghunath Ward No. 3	661	0	661	1854	0	1854
15	45/44	Renovation/ c/o of Verandah sarai Ward No. 3	983	0	983	1743	0	1743
16	45/62	Construction of Path Near Tiwari surgical Ward no. 6	2215	0	2215	4619	0	4619
17	45/60	Improvement of Path near House of Mukhtyar ward no. 4	1303	0	1303	1449	0	1449
18	45/66, 70,74	P/F high mast light Ward no 4,5,7	13150	0	13150	0	0	0
19	44/71	Improvement of Path to wards						


- 68 -



		Ashwani Kumar House ward no. 4	5137	0	5137	7002	0	7002
20	45/82	Improvement of Path Radha Swami Satsang Ward no. 5	2497	0	2497	4375	0	4375
21	44/72	Brick work and Strong room GSSS Gagret	148	0	148	0	0	0
22	45/86	C/R of CC wall around T no. 95 Ward no. 4	3443	0	3443	10830	0	10830
23		Work done by JCB in NP Gagret	448	0	448	0	0	0
24	45/90	Improvement of Ashram road Ward no. 3 Phase III	7222	0	7222	8619	0	8619
25	46/3	Construction of park at bus stand ward no. 5	3656	0	3656	2722	0	2722
26	44/77	Extra Width to path rosin mill gate ward no. 6	3022	0	3022	9806	0	9806
27	44/80	Improvement of path from Una Road to GSSS Gagret Ward no. 5	1550	0	1550	1668	0	1668
28	46/10	P/F angle iron and flat trench cover with frame in Ward no. 5	536	0	536	260	0	260
29	46/12	Laying on slab on well near sarai ward no. 3	347	0	347	232	0	232
30	46/30	Improvement of path near house Shadi Lal ward no. 3	858	0	858	1096	0	1096
31	46/32	Improvement of path & extra width mohla ranaya ward no. 4	2154	0	2154	3739	0	3739
32	46/36	improvement of path Una Road near shiv mandir ward no. 4	2098	0	2098	7370	0	7370
33	46/37	C/O Park at Bus Stand in w.no.5	1576	0	1576	2765	0	2765
34	46/40	Improvement of Ashram Road in ward.no.3 Phase IV	2384	0	2384	2402	0	2402
35	46/34	Improvement of Path towards the H/O Sh.Mohan Lal In w.no.4	2347	0	2347	14741	0	14741
		Grand Total	85942	0	85942	107527	0	107527

Discussion Certificate

It is certified that various Audit objections have been discussed with the undersigned.


**Secretary,
Nagar Panchayat Gagret,
Distt.Una.(H.P.)**

